



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022020-215883
CG-DL-E-04022020-215883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]
No. 44]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2020/माघ 14, 1941
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2020/MAGHA 14, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(भारतीय कंपनी सचिव संस्थान)

(कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2020

सं. 710/1(एम)/1.—कंपनी सचिव विनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1, तारीख 6 अगस्त, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 6 अगस्त, 2019 में पृष्ठ सं. 1 से 34 तक में प्रारूप विनियम प्रकाशित किए गए थे जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और आक्षेप और सुझाव उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 अगस्त, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं पैंतालीस दिन की उक्त अवधि से पूर्व आमंत्रित किए गए थे;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर परिषद् द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, परिषद्, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कंपनी सचिव विनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी सचिव विनियम, 1982 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में, खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(झक) किसी रजिस्ट्रीकृत छात्र या संस्थान द्वारा संचालित किसी परीक्षा के लिए नामांकित किसी अभ्यर्थी के संबंध में ‘अवचार’ से संस्थान के संबंध में या किसी परीक्षा केन्द्र या परिसर में या उसके आसपास विच्छृंखल रीति में व्यवहार करना या अधिनियम, संस्थान के नियम, विनियम, अधिसूचना, शर्त, दिशानिर्देश, निदेश, सलाह, परिपत्र के किसी उपबध का भंग करना या डाक या मौखिक ट्यूशन के संबंध में कदाचार अपनाना या संस्थान द्वारा संचालित किसी परीक्षा में लिखने के संबंध में अनुचित माध्यमों का सहारा लेना या सहारा लेने का प्रयत्न करना या संस्थान के अभिलेख या डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ करना या संस्थान के बारे में लोक मंचों, सोशल नेटवर्किंग पर या किसी प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ऐसी जानकारी को साझा करना जो कि निन्दात्मक है या ऐसा कोई अन्य कार्य करना अभिप्रेत है जिससे संस्थान की परीक्षा या उसके प्रशिक्षण या किसी नीति की गुप्तता, मर्यादा या पवित्रता को अपहानि, नुकसान, बाधा या चुनौती कारित हो सकती है;

(झख) व्यावहारिक प्रशिक्षण या परिषद् द्वारा यथा-अवधारित कोई अन्य प्रशिक्षण, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी के संबंध में ‘अवचार’ से संस्थान के संबंध में या ऐसे किसी स्थान में या उसके आसपास जिसमें वह प्रशिक्षण ले रहा है, विच्छृंखल रीति में व्यवहार करना या अधिनियम, संस्थान के नियम, विनियम, अधिसूचना, शर्त, दिशानिर्देश, निदेश, सलाह, परिपत्र के किसी उपबध का भंग करना या संस्थान के अभिलेख या डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ करना या संस्थान के बारे में लोक मंचों, सोशल नेटवर्किंग पर या किसी प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ऐसी जानकारी को साझा करना जो कि निन्दात्मक है या प्रशिक्षण के संबंध में कदाचार करना या प्रशिक्षण लेने या प्रशिक्षण लेने से छूट की मांग करने के संबंध में अनुचित माध्यमों का सहारा लेना या सहारा लेने का प्रयत्न करना या उस संगठन की, जिसमें वह प्रशिक्षण ले रहा है, किसी नीति, नियम या विनियम का भंग करना अभिप्रेत है।”

3. उक्त विनियमों में, विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“3. सदस्यों का रजिस्टर.- (1) संस्थान अनुसूची ‘क’ में निर्दिष्ट प्रोफार्मा में हस्तलिखित या इलैक्ट्रॉनिक रूप में या किसी ऐसी अन्य रीति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगा।

(2) सदस्यों के रजिस्टर में पूरा नाम, जन्म की तारीख, अधिवास, वृत्तिक पता, निवासीय पता, सदस्यता संख्यांक, सदस्यता अर्जित करने की तारीख, अर्हताएं, व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्यांक, यदि धारण किए हुए हैं, ईमेल आई.डी. मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, यदि कोई है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं।

(3) सदस्य, रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए अपने ब्यौरे के किसी परिवर्तन के बारे में संस्थान को ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर संसूचित करेगा।”

4. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, -

(अ) उप-विनियम (1) में,-

(i) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(घ) उसने विघटित कंपनी द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों और या तो पूर्वतर विनियमों में यथा-विहित या कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2020 में यथा-विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो; या”

(iii) खंड (ङ) में, “के अध्याय 7 में विनिर्दिष्ट” शब्दों के स्थान पर “में विहित” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(च) उसने भारत के बाहर ऐसी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और ऐसा अन्य प्रशिक्षण पूरा किया हो, जिसे केन्द्रीय सरकार या परिषद् द्वारा इन विनियमों में विहित परीक्षा और प्रशिक्षण के समतुल्य होने के रूप में मान्यता दी गई है; या”

(v) खंड (ज) में, “विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 के खंड (त)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ब)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) अधिसदस्य:

(i) कोई व्यक्ति अधिसदस्य के रूप में रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने का तभी हकदार होगा जब कि,-

(क) वह अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले विघटित कंपनी का अधिसदस्य था (जिसके अंतर्गत अधिसदस्य है); या

(ख) उसे पूर्वतर विनियमों के अधीन अधिसदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था; या

(ग) वह सहयुक्त सदस्य हो और भारत में कंपनी सचिव के रूप में कम से कम पांच वर्षों से निरन्तर व्यवसाय कर रहा हो; या

(घ) वह कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर अवधि के लिए सहयुक्त सदस्य हो और ऐसी अर्हताएं या व्यावहारिक अनुभव धारण करता हो, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं।

(ii) ऐसे किसी सहयुक्त सदस्य को संस्थान के अधिसदस्य के रूप में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा, यदि,-

(क) उसे किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है या उस पर आवेदन की तारीख को पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी समय धारा 21क की उपधारा (3) या 21ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित किया गया है; या

(ख) उसने वृत्तिक विकास क्रेडिट घंटों की उतनी न्यूनतम संख्या पूरी नहीं की है, जो कि परिषद् द्वारा अवधारित की जाए:

परन्तु उप-विनियम (1) और (2) में उल्लिखित किसी वर्ग के किसी ऐसे सदस्य की दशा में, जो भारत में स्थायी रूप से निवास नहीं कर रहा है, परिषद्, संकल्प द्वारा ऐसी अतिरिक्त अर्हताएं और शर्तें अवधारित कर सकेगी जो वह आवश्यक या समीचीन समझे।”

5. उक्त विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (1) में, “वह प्रत्येक व्यक्ति जो सहयुक्त सदस्य के रूप में रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है” शब्दों के स्थान पर “ऐसा व्यक्ति, जिसका आशय सहयुक्त सदस्य के रूप में रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना है” शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त विनियमों के विनियम 6 में,-

(क) उप-विनियम (1) में, “प्रत्येक व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर “कोई व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-विनियम (2) में, “परिषद् द्वारा” शब्दों के पश्चात् “अधिसूचना द्वारा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप-विनियम (4) में,-

(i) “प्रत्येक सदस्य को” शब्दों के पश्चात् “समुचित प्ररूप में ऐसे जीवन प्रमाणपत्र और अपने सदस्य को जानो(के.वाई.एम.) प्रमाणपत्र सहित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-विनियम (4) के तीसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा;

- (iii) चौथे परन्तुक में, “सत्तर वर्ष या इससे अधिक आयु है और किसी लाभप्रद नियोजन में या व्यवसायरत नहीं है” शब्दों के स्थान पर “सत्तर वर्ष या इससे अधिक की आयु होगी” शब्द रखे जाएंगे;
- (iv) निम्नलिखित पांचवा और छठा परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह भी कि ऐसा सदस्य, जो कि शरीर से असुविधाग्रस्त है, चाहे उसकी आयु कितनी भी हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर वार्षिक सदस्यता फीस के आधे का संदाय करेगा;

परन्तु यह भी कि यदि कोई सदस्य शरीर से असुविधाग्रस्त है और उसकी आयु भी सत्तर वर्ष या उससे अधिक है तो वह एक घोषणा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर वार्षिक सदस्यता फीस के आठवें भाग का संदाय करेगा।”

7. उक्त विनियमों के विनियम 7 में, “फीस को” शब्दों के पश्चात् “ऐसे प्रशासनिक प्रभारों की कटौती करने के पश्चात्, जो संस्थान द्वारा अवधारित किए जाएं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
8. उक्त विनियमों में, विनियम 8, विनियम 9, विनियम 10, विनियम 11 और विनियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“8. **देय राशि का संदाय न करना.-** (1) वार्षिक फीस: ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उस वर्ष के 30 जून को या उससे पूर्व अपनी वार्षिक सदस्यता फीस का संदाय नहीं किया है, कोई और सूचना दिए बिना उस वर्ष की पहली जुलाई से उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

(2) अन्य देय: ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने सदस्य के रूप में संस्थान को संदेय जुमाने, शास्ति या किन्हीं अन्य शोध्यों का संदाय, ऐसी बकाया रकम की सूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नहीं किया है, उसका नाम नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

9. **सदस्यता प्रमाणपत्र.-** (1) परिषद् द्वारा सदस्यता के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने पर, पूरा नाम, जन्म की तारीख, अधिवास, वृत्तिक पता, निवासीय पता, सदस्यता संख्यांक, सदस्यता अर्जित करने की तारीख, अर्हताएं, ईमेल आई.डी., मोबाइल नम्बर, टेलीफोन नम्बर, यदि कोई है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं, रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएंगी और परिषद् द्वारा उसे समुचित प्ररूप में सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(2) ऐसा सदस्य, जिसका नाम अधिनियम या इन विनियमों के किसी उपबंध के अधीन रजिस्टर से हटा दिया जाता है, ऐसे हटाए जाने या रद्दकरण की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके द्वारा तत्समय धारित सदस्यता प्रमाणपत्र सचिव को अभ्यर्पित करेगा और उसी प्रमाणपत्र या सदस्यता संख्यांक का किसी भी रीति में प्रयोग या प्रदर्शन नहीं करेगा या प्रयोग या प्रदर्शन करना जारी नहीं रखेगा।

10. **व्यवसाय प्रमाणपत्र.-** (1) कोई सदस्य, ऐसी रीति और पद्धति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, विषयबोध कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् संस्थान को, भारत में कहीं भी कंपनी सचिव के रूप में व्यवसाय करने के लिए उसे हकदार बनाने वाला व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समुचित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा।

(2) संस्थान द्वारा, उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन स्वीकार किए जाने पर, समुचित प्ररूप में प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जो कि तब तक विधिमान्य होगा जब तक उसे रद्द नहीं कर दिया जाता है।

(3) व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण की दशा में, संस्थान द्वारा आवेदन मंजूर करने के पश्चात्, सचिव व्यवसाय प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि को उस वर्ष के लिए विस्तारित करते हुए समुचित प्ररूप में एक पत्र जारी करेगा।

(4) उस सदस्य के अनुरोध पर, जो अपना व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करता है, केवल मूल प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

(5) ऐसा सदस्य, जो व्यवसाय में नहीं रहता है या जिसका व्यवसाय प्रमाणपत्र विनियम 11 के खंड (घ) के सिवाय विनियम 11 के अधीन रद्द कर दिया गया है, उसके द्वारा तत्समय धारित प्रमाणपत्र को, ऐसे रद्दकरण की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, सचिव को अभ्यर्पित करेगा और उसी प्रमाणपत्र या सदस्यता संख्यांक का किसी रीति में प्रयोग या प्रदर्शन नहीं करेगा या प्रयोग या प्रदर्शन करना जारी नहीं रखेगा।

11. व्यवसाय प्रमाणपत्र का रद्दकरण.—(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया व्यवसाय प्रमाणपत्र तब रद्द किए जाने के अध्वधीन होगा, यदि —

- (क) प्रमाणपत्र के धारक का नाम अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) और (2) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया जाता है; या
- (ख) परिषद् का संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा दी गई गलत, भ्रामक या मिथ्या जानकारी के आधार पर या संस्थान की ओर से गलती या अनवधानता के कारण जारी किया गया था; या
- (ग) कोई सदस्य व्यवसाय करना बन्द कर देता है; या
- (घ) किसी सदस्य ने व्यवसाय प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण कर दिया है; या
- (ङ) किसी सदस्य ने सुसंगत वर्ष की 30 जून तक व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए वार्षिक फीस का संदाय नहीं किया है; या
- (च) किसी सदस्य ने परिषद् के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है; या
- (छ) कोई सदस्य भारत का राष्ट्रिक नहीं रहा है।

(2) प्रमाणपत्र का रद्दकरण तब प्रभावी होगा,—

- (क) उप-विनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामले में, उस तारीख को, जिसको और उस अवधि के दौरान जिसके लिए प्रमाणपत्र के धारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था;
- (ख) उप-विनियम (1) के खंड (ङ) के अंतर्गत आने वाले मामले में, कोई सूचना दिए बिना सुसंगत वर्ष की पहली जुलाई से; और
- (ग) किसी अन्य मामले में, ऐसी तारीख से और ऐसी अवधि के लिए, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए।

(3) जब कोई प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है तब संबंधित सदस्य को वह तारीख जिससे और वह अवधि जिसके लिए प्रमाणपत्र रद्द रहेगा, लिखित में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा रजिस्टर में उपलब्ध उसके वृत्तिक पते और ईमेल आई. डी. पर संसूचित किया जाएगा और उसे संस्थान के जर्नल में प्रकाशित किया जा सकता है या उसकी वेबसाइट पर डाला जा सकता है।

(4) जहां कोई प्रमाणपत्र विनियम 11 के खंड (1)(घ) के सिवाय विनियम 11 के अधीन रद्द कर दिया जाता है वहां ऐसे प्रमाणपत्र का धारक ऐसे रद्दकरण की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर सचिव को प्रमाणपत्र लौटाएगा और उसी प्रमाणपत्र या सदस्यता संख्यांक का किसी रीति में प्रयोग या प्रदर्शन नहीं करेगा या प्रयोग या प्रदर्शन करना जारी नहीं रखेगा।

(5) ऐसे सदस्य के अनुरोध पर, जो अपने व्यवसाय प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करता है, केवल मूल प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

12. सदस्यता के हटाए जाने की अधिसूचना.— किसी सदस्य का नाम रजिस्टर से हटाए जाने की संसूचना संबंधित सदस्य को लिखित में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा रजिस्टर में उपलब्ध उसके वृत्तिक पते और ईमेल आई.डी. पर दी जाएगी और उसे संस्थान के जर्नल में भी प्रकाशित किया जा सकता है या उसकी वेबसाइट पर डाला जा सकता है।”

9. उक्त विनियमों के विनियम 13 में,—

(क) उप-विनियम (2) में,

(i) “और” शब्द के स्थान पर “सहित” शब्द रखा जाएगा;

(ii) दूसरे परन्तुक में, “या हाई कोर्ट” शब्दों के स्थान पर “या किसी अधिकरण या किसी न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) रजिस्टर में किसी सदस्य के नाम के प्रत्यावर्तन की संसूचना उसे लिखित में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा रजिस्टर में उपलब्ध उसके वृत्तिक पते और ईमेल आई.डी. पर दी जाएगी और उसे संस्थान के जर्नल में भी प्रकाशित किया जा सकता है या उसकी वैबसाइट पर डाला जा सकता है।”

10. उक्त विनियमों के विनियम 14 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने पर, व्यवसाय प्रमाणपत्र के प्रत्यावर्तन की संसूचना संबंधित व्यक्ति को लिखित में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा रजिस्टर में उपलब्ध उसके वृत्तिक पते और ईमेल आई.डी. पर दी जाएगी और उसे संस्थान के जर्नल में भी प्रकाशित भी किया जा सकता है या उसकी वैबसाइट पर डाला जा सकता है।”

11. उक्त विनियमों में, “अध्याय 4” के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय 4 रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अध्याय 4

छात्रों का रजिस्ट्रीकरण

19क. कंपनी सचिवत्व पाठ्यक्रम का कार्यक्रम.- कंपनी सचिवत्व पाठ्यक्रम में दो कार्यक्रम होंगे, अर्थात्:-

(1) कार्यकारी कार्यक्रम; और

(2) वृत्तिक कार्यक्रम:

परन्तु संस्थान ऊपर उल्लिखित कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनमें ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, उपांतरण कर सकेगा।

20. कार्यकारी कार्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें.- (1) ऐसा आवेदक, जो भारत का राष्ट्रिक है, कार्यकारी कार्यक्रम के छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होने की दृष्टि से समुचित प्ररूप में छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस, वार्षिक अभिदान, यदि लागू हों, अध्यापन फीस और ऐसी अन्य फीसों सहित, जो कि परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, आवेदन करेगा और इस संबंध में परिषद् के समाधानप्रद रूप में सबूत भी प्रस्तुत करेगा कि उसने, -

(i) भारत में विधि द्वारा गठित किसी परीक्षा निकाय द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2 प्रणाली) या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और ऐसी अपेक्षाओं का, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं, अनुपालन कर लिया है; और

(ii) संस्थान द्वारा संचालित कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सी.एस.ई.ई.टी.) ऐसी रीति, पद्धति और पात्रता के अनुसार, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, या परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समतुल्य कोई अन्य परीक्षण या परीक्षा उत्तीर्ण की है या उसे उत्तीर्ण करने से परिषद् द्वारा छूट प्रदान की गई है:

परन्तु इन विनियमों के अधीन कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा प्रारंभ किए जाने की तारीख से आधार कार्यक्रम के ऐसे सभी छात्रों को, जिनके पास कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा प्रारंभ करने की तारीख से ठीक पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है, आधार कार्यक्रम परीक्षा में प्रयत्नों की संख्या के संबंध

में ऐसी शिथिलता प्रदान की जा सकेगी या उन्हें कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसा परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए:

परन्तु यह और कि आधार कार्यक्रम परीक्षा में प्रयत्नों की संख्या या शिथिलीकरण किसी भी दशा में उसके रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की तारीख से परे नहीं होगा।

(2) परिषद्, उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, विदेशी राष्ट्रिकता वाले किसी व्यक्ति को कंपनी सचिवत्व पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण की मांग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति पहचान कार्ड अभिप्राप्त करेगा और यह वचनबंध करेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत छात्र के रूप में अपना आचरण ऐसी रीति में करेगा जो कि कंपनी सचिव के व्यवसाय के आदर्शों और मानकों के लिए शोभनीय हो और वह परिषद् के दिशानिर्देशों और आदेशों का पालन करेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सचिव द्वारा उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, स्वीकार नहीं किया जाता है, उसके द्वारा संदत्त फीस का, ऐसे प्रशासनिक प्रभारों की कटौती के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिदाय किए जाने का हकदार होगा।

21. छात्र का रजिस्ट्रीकरण और परीक्षाएं पूरी करने की समय-सीमा.- (1) ऐसे व्यक्ति को, जो रजिस्ट्रीकृत छात्र बनने के लिए आवेदन करता है, इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार उस मास से, जिसमें सब प्रकार से पूर्ण उसका आवेदन सचिव द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत छात्र से उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण अवधि के भीतर कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा और वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(3) किसी छात्र के रजिस्ट्रीकरण का पांच वर्ष की उक्त रजिस्ट्रीकरण अवधि की समाप्ति पर पर्यवसान हो जाएगा:

परन्तु उसके लिए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या किसी अन्य अपेक्षा को पूरा करने या छूट का दावा करने या संस्थान का सदस्य बनने का पात्र होने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने की दृष्टि से, विनियम 22 और विनियम 23 के निबंधनानुसार, ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता का नवीकरण कराए रखना अपेक्षित होगा।

22. नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण और पुनःरजिस्ट्रीकरण.- ऐसा छात्र, जिसके रजिस्ट्रीकरण का विनियम 21 के उप-विनियम (3) के अधीन पर्यवसान हो गया है, अपने रजिस्ट्रीकरण के पर्यवसान के पांच वर्ष के भीतर, नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत छात्र बनने के लिए, ऐसी अध्यापन फीस, सेवा प्रभार और अन्य फीस सहित, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, विनियम 25 के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा और सचिव द्वारा उसका आवेदन स्वीकार किए जाने पर, उसके बारे में समस्त प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसे नए रजिस्ट्रीकृत छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया है सिवाय इसके कि वह किसी छूट फीस का संदाय किए बिना, उसके द्वारा संस्थान के साथ उसके पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण के अधीन कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा और वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के पूर्व में अभिप्राप्त, यथास्थिति. एकल विषय या समूह या माड्यूल से छूट का दावा करने का हकदार होगा:

परन्तु जहां कोई छात्र रजिस्ट्रीकरण के व्यपगत होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आवेदन करता है किन्तु उसने किसी पाठ्य-विवरण के अधीन मध्यवर्ती पाठ्यक्रम या कार्यकारी कार्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है वहां वह उन निबंधनों और शर्तों पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं, वृत्तिक कार्यक्रम में पुनः रजिस्ट्रीकरण की मांग कर सकेगा।

23. रजिस्ट्रीकरण का जारी रखना.- ऐसा छात्र, जिसने वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिसके रजिस्ट्रीकरण का विनियम 21 के उप-विनियम (3) के अधीन पर्यवसान हो गया है, ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या किसी अन्य प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने या उनकी छूट के लिए छात्र के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण को जारी रखने के लिए संस्थान में आवेदन करेगा जिससे कि वह संस्थान के सदस्य के रूप में नामांकित होने का हकदार बन सके।

24. **रजिस्ट्रीकृत छात्र का प्रास्थिति.**— किसी व्यक्ति के छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकरण से ऐसे व्यक्ति को न तो किसी सदस्य का कोई अधिकार प्रदत्त होगा और न ही वह यथास्थिति, संस्थान या उसकी प्रादेशिक परिषद् या चैप्टर की किसी रूप में सदस्यता का दावा करने का हकदार हो जाएगा:

परन्तु ऐसे छात्र को संस्थान, प्रादेशिक परिषद् या चैप्टर के पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेने के लिए या यथास्थिति, संस्थान, उसकी प्रादेशिक परिषद् या चैप्टर की गतिविधियों में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो यथास्थिति, परिषद्, प्रादेशिक परिषद् या चैप्टर द्वारा अवधारित की जाएं, भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

25. **रजिस्ट्रीकृत छात्र द्वारा फीस.**— (1) छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति से ऐसी फीस और अन्य अभिदान का जो परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, संदाय करना अपेक्षित होगा, जो संस्थान को शोध्य और संदेय हो।

(2) किसी आवेदक द्वारा किसी परीक्षा के लिए या छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए या किसी रजिस्ट्रीकृत छात्र द्वारा उसे प्रदान की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के लिए संदेय अन्य सभी फीसों ऐसी होंगी जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं।

26. **परीक्षा संबंधी अपेक्षाएं.**— (1) किसी रजिस्ट्रीकृत छात्र के लिए परीक्षाओं से संबंधित ऐसी शर्तों का पालन करना अपेक्षित होगा, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं।

(2) परीक्षा समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से, जो उसमें लेखबद्ध किए जाएं,—

(क) किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा में प्रवेश करने से इनकार कर सकेगा; या

(ख) उसे किसी परीक्षा में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह समिति या वह व्यक्ति किसी मामले की परिस्थितियों में युक्तियुक्त समझे, प्रवेश करने दे सकेगा; या

(ग) किसी परीक्षा में प्रायिक अनुक्रम में उसके प्रवेश करने के पश्चात् उसे वहां से निष्कासित कर सकेगा; या

(घ) कोई ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा, जो उपयुक्त समझी जाए।

(3) इस तथ्य के होते हुए भी कि किसी अभ्यर्थी ने किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं, परीक्षा समिति, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, उसके परिणाम को रोक सकेगी या रद्द कर सकेगी।

(4) परीक्षा समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उप-विनियम (2) के अधीन किए गए किसी आदेश का समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और परीक्षा समिति द्वारा पारित किसी आदेश का परिषद् द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।

27. **परीक्षा परिणाम या रजिस्ट्रीकरण का निलंबन और रद्दकरण.**— किसी रजिस्ट्रीकृत छात्र द्वारा या संस्थान द्वारा संचालित किसी परीक्षा के लिए नामांकित किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी अवचार की दशा में, परिषद् या इस संबंध में परिषद् द्वारा गठित कोई समिति, स्वप्रेरणा से या कोई शिकायत प्राप्त होने पर, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अन्वेषण के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, अवचार साबित हो गया है और ऐसे छात्र या अभ्यर्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, उसे किसी एक या अधिक परीक्षाओं में बैठने से निलंबित या वर्जित कर सकेगी, उसका परीक्षा परिणाम या छात्र के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी या उसे छात्र के रूप में पुनः रजिस्ट्रीकरण कराने से वर्जित कर सकेगी या ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगी जो वह उचित समझे।

28. **शिक्षण और प्रशिक्षण प्रशासन.**— (1) संस्थान ऐसी अवधि के लिए, जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, डाक, कक्षा, इलैक्ट्रॉनिक पद्धति या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से शिक्षण या प्रशिक्षण या दोनों, प्रदान करने का अवधारण कर सकेगा और उसकी व्यवस्था कर सकेगा।

(2) संस्थान, इस प्रयोजन के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण प्रशासन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, स्थापित कर सकेगा, दिशानिर्देश जारी कर सकेगा और ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा, जो परिषद् द्वारा

अवधारित की जाए।

(3) संस्थान, छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी प्रशिक्षक या किसी संगठन या किसी संस्था के चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदंड अवधारित कर सकेगा।

(4) शिक्षण और प्रशिक्षण प्रशासन, संस्थान के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन कृत्य करेगा।”

12. उक्त विनियमों में, “अध्याय 4क, कारपोरेट अनुपालन और कार्यकारी प्रमाणपत्र-आई.सी.एस.आई.” के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय 4क रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अध्याय 4क

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) - सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र

28क. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) - सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र - (1) संस्थान ऐसे किसी छात्र को भारतीय कंपनी सचिव संस्थान(आई.सी.एस.आई.)-सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र दे सकेगा, जिसने,-

- (i) कार्यकारी कार्यक्रम उत्तीर्ण किया है;
- (ii) कार्यकारी विकास कार्यक्रम या परिषद् द्वारा यथा-अवधारित कोई अन्य समतुल्य कार्यक्रम या ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा किया है जो कि इन विनियमों के अधीन विहित है या उससे छूट प्रदान की गई है; और

(iii) ऐसी रीति और पद्धति में ऐसी फीस सहित, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, आवेदन किया है।

(2) ऐसा छात्र, जिसे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.)-सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र दिया गया है, “भारतीय कंपनी सचिव संस्थान-सचिवीय कार्यकारी” वर्णन का प्रयोग करने का हकदार होगा।

(3) कोई भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.)-सचिवीय कार्यकारी नियमित कंपनी सचिवत्व पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रख सकेगा।

(4) कोई भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.)-सचिवीय कार्यकारी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.)-सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए वार्षिक आधार पर उतनी संख्या में वृत्तिक विकास क्रेडिट घंटे सुनिश्चित करेगा, जितने परिषद् अवधारित करे।

(5) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.)-सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र प्रदान करने से ऐसी सचिवीय कार्यकारी को न तो किसी सदस्य का कोई अधिकार प्रदत्त होगा और न ही वह संस्थान की सदस्यता का दावा करने का हकदार होगा:

परन्तु परिषद् भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.)-सचिवीय कार्यकारी को ऐसी मान्यता प्रदान कर सकेगी जो वह अवधारित करे।

(6) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान ऐसी शर्तों को पूरा करने पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं, ऐसे व्यक्ति को भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.)-सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र दे सकेगा, जो कारपोरेट अनुपालन कार्यकारी प्रमाणपत्र धारण किए हुए है।

28ख. कारपोरेट अनुपालन कार्यकारी प्रमाणपत्र के धारक की प्रास्थिति.- इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात कारपोरेट अनुपालन कार्यकारी प्रमाणपत्र के धारक को लागू नहीं होगी।

13. उक्त विनियमों में, “अध्याय 6” के स्थान पर निम्नलिखित “अध्याय 6” रखा जाएगा, अर्थात्

“अध्याय 6

परीक्षाएं

31. कंपनी सचिवत्व पाठ्यक्रम की परीक्षा.- (1) कंपनी सचिवत्व परीक्षा में दो चरण होंगे, अर्थात्:-

- (i) कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा; और
- (ii) वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा:

परन्तु संस्थान, ऊपर उल्लिखित चरणों की संख्या का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसे ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, उपांतरित कर सकेगा।

(2) परीक्षा का संचालन और ऐसी परीक्षा के लिए आवेदन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) परीक्षा का संचालन वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसी रीति में और भारत के भीतर या विदेश में ऐसे समय और स्थान पर, जो परिषद् अवधारित करे, किया जाएगा;
- (ii) परीक्षा की तारीख और स्थान और उससे संबंधित कोई अन्य जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर डाली जा सकती है या उसे जर्नल में या छात्र कंपनी सचिव बुलेटिन में प्रकाशित किया जा सकता है;
- (iii) अभ्यर्थी द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए या किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने से छूट के लिए आवेदन सचिव को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस सहित किया जाएगा, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए।

32. परीक्षा फीस का प्रतिदाय.- छात्र द्वारा संदत्त की गई परीक्षा फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा:

परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी, परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर इस आधार पर परीक्षा फीस का प्रतिदाय करने पर विचार करने के लिए संस्थान को आवेदन करता है कि वह उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण परीक्षा में बैठने से निवारित हो गया था और संस्थान के समाधानप्रद रूप में दस्तावेजी राक्ष्य और जानकारी प्रस्तुत करता है वहां संस्थान पचास प्रतिशत परीक्षा फीस का प्रतिदाय अनुज्ञात कर सकेगा।

33. परीक्षा केन्द्र, माध्यम और माड्यूल में परिवर्तन.- परीक्षा केन्द्र, माध्यम या माड्यूल में परिवर्तन करने के लिए आवेदन साधारणतया ग्रहण नहीं किया जाएगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में जहां उस प्रयोजनार्थ संस्थान द्वारा ऐसा आवेदन परीक्षा के प्रारंभ की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व प्राप्त किया जाता है वहां संस्थान ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, परिवर्तन अनुज्ञात कर सकेगा।

34. यात्रा रियायत.- संस्थान, छात्र द्वारा आवेदन किए जाने पर, उसे संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए या संस्थान के किसी ऐसे अध्ययन दौरे या अनुसंधान दौरे के लिए, जिसके लिए उसके द्वारा अपने निवास स्थान से भारत में परीक्षा या अध्ययन या अनुसंधान स्थान तक यात्रा करनी अपेक्षित हो, यात्रा रियायत सुनिश्चित करने के लिए ऐसे छात्र की सद्भाविकता के बारे में पुष्टीकरण दे सकेगा।

35. कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा के लिए नामांकन.- (1) कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा में नामांकन के लिए पात्र बनने की दृष्टि से छात्र के लिए उस मास से, जिसमें परीक्षा प्रारंभ होनी है, कम से कम छह कलेंडर मास पूर्व, और जैसा कि यदि परीक्षा दिसम्बर में प्रारंभ होती है तो उस कलेंडर वर्ष के मई मास तक रजिस्ट्रीकृत छात्र ही कार्यकारी कार्यक्रम के लिए स्वयं को ऐसी रीति और पद्धति में, ऐसी परीक्षा फीस और अन्य अपेक्षाओं सहित, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं, रजिस्टर कराना अपेक्षित होगा:

परन्तु किसी छात्र को कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा के ऐसे एक समूह या माड्यूल में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, यदि वह उस मास से पूर्व, जिसमें परीक्षा प्रारंभ होनी है, कम से कम चार कलेंडर मास की अवधि के लिए छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, और जैसा कि यदि परीक्षा दिसम्बर में प्रारंभ होती है तो उस वर्ष की जुलाई तक रजिस्ट्रीकृत किसी अभ्यर्थी को अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) संस्थान कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा से पहले ऐसी रीति और पद्धति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, परीक्षा-पूर्व परीक्षण का संचालन कर सकेगा।

(3) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से, कार्यकारी कार्यक्रम के ऐसे सभी छात्र, जिनके पास अधिसूचना की तारीख से पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है, इन विनियमों के अध्याय 6ख में उपबंधित प्रशिक्षण के सिवाय सभी विषयों में इन विनियमों द्वारा शासित होंगे।

36. कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा के पाठ्यक्रम की विषयवस्तु- (1) परिषद् कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा के लिए पाठ्य-विवरण, प्रश्नपत्रों की संख्या और समूहों या माड्यूलों का अवधारण करेगी जिसे संस्थान के जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा या उसकी वेबसाइट पर डाला जाएगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा के सभी समूहों और माड्यूलों में तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि—

(i) वह साथ-साथ लिए जाने पर, एक बार में प्रत्येक ऐसे प्रश्नपत्र में, जिसमें उसका बैठना अपेक्षित है, चालीस प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर सभी प्रश्नपत्रों में कुल पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है; या

(ii) वह ऐसे एकल प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्रों) या समूह (समूहों) या माड्यूल (माड्यूलों) से भिन्न, जो कि परिषद् द्वारा अवधारित स्कीम के अनुसार पूर्ववर्ती पाठ्य-विवरण से नए पाठ्य-विवरण में अंतरण होने पर छूटप्राप्त हैं, सभी प्रश्नपत्रों में बैठता है और एक बार में प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम चालीस प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर सभी प्रश्नपत्रों में कुल पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है:

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी ने अंतरण होने पर नए पाठ्य-विवरण के अधीन कोई माड्यूल या समूह उत्तीर्ण कर लिया है, उस दशा में इस उप-विनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(3) किसी अभ्यर्थी को किसी समूह या माड्यूल में तब उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक बार में प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम चालीस प्रतिशत अंक और उस समूह या माड्यूल के सभी प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(4) जहां कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी ऐसे समूह या माड्यूल के, जिनके लिए वह नामांकित है, प्रश्नपत्रों में बैठा है और उसने किसी प्रश्नपत्र में साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक और समूह या माड्यूल के शेष प्रश्नपत्रों में से प्रत्येक में कम से कम पच्चीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं किन्तु समूह या माड्यूल में अनुत्तीर्ण हो गया है वहां उसे किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में उन प्रश्नपत्रों से छूट प्रदान की जाएगी जिसमें उसने साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

(5) जहां कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी ऐसे समूह या माड्यूल के, जिनके लिए वह नामांकित है, उस समूह या माड्यूल के किसी प्रश्नपत्र में छूट प्राप्त किए बिना सभी प्रश्नपत्रों में बैठा है और समूह या माड्यूल में समाविष्ट एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हो गया है किन्तु माड्यूल के शेष प्रश्नपत्रों के कुल अंकों के साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं वहां ऐसे सभी शेष प्रश्नपत्रों से छूट प्रदान की जाएगी, जिनमें उसने कुल साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उस समूह या माड्यूल में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में उस प्रश्नपत्र में पुनः बैठता है जिसमें वह अनुत्तीर्ण हो गया था और कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(6) यह छूट वहां रद्द हो गई समझी जाएगी जहां कोई अभ्यर्थी परीक्षा के प्रवेश-प्रमाणपत्र या प्रवेशपत्र में इस आशय के पृष्ठांकन के बावजूद छूटप्राप्त प्रश्नपत्र में बैठता है या अभ्यर्थी ने ऐसी परीक्षा के नामांकन की अंतिम तारीख से पूर्व ऐसे रद्दकरण के लिए स्वयं कोई आवेदन किया है।

स्पष्टीकरण 1- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसे किसी प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में, जिनमें उसने साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर छूट प्राप्त की थी, प्राप्त अंकों को किसी भी पश्चात्वर्ती परीक्षा के लिए उस समूह या माड्यूल के शेष प्रश्नपत्रों के लिए उसके परिणाम की संगणना करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- उप-विनियम (5) के प्रयोजनों के लिए, छूट केवल तीन या उससे अधिक प्रश्नपत्रों वाले किसी समूह या माड्यूल के लिए ही लागू होगी।

स्पष्टीकरण 3- उप-विनियम (5) के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी को छूट प्रदान की गई है और वह किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में किसी छूट प्राप्त प्रश्नपत्र में बैठता है या औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करके किसी प्रश्नपत्र में छूट को रद्द करता है तो ऐसे सभी प्रश्नपत्रों के लिए छूट कोई सूचना दिए बिना स्वतः रद्द हो जाएगी।

स्पष्टीकरण 4 – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां छूट रद्द कर दी जाती है वहां परीक्षा में प्रश्नपत्र के पुनर्लेखन पर प्राप्त वास्तविक अंकों को हिसाब में लिया जाएगा।

(7) किसी अभ्यर्थी को कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा में विशिष्टता सहित उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह किसी प्रश्नपत्र में छूट प्राप्त किए बिना एक ही बार में प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम साठ प्रतिशत अंक और सभी समूहों या माड्यूलों में कुल मिलाकर सत्तर प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है।

(8) किसी अभ्यर्थी को सभी प्रश्नपत्रों, समूहों या माड्यूलों को ऊपर निर्दिष्ट रीति में उत्तीर्ण करने पर कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

37. कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा के प्रश्नपत्र से छूट.— (1) परिषद् कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा के ऐसे एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल का अवधारण कर सकेगी जिससे ऐसे अभ्यर्थी को छूट प्रदान की जा सकेगी जिसने किसी विश्वविद्यालय या व्यक्तिकारी आधार पर भारत या विदेश में ऐसे वृत्तिक संस्थान या निकाय की, जिसे परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की जाए, ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट ऐसी छूट-फीस का संदाय करने पर प्रदान की जाएगी, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए।

(3) परिषद् कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा के ऐसे तत्समान एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल का अवधारण कर सकेगी जिससे किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे ऐसी छूट-फीस का संदाय करने पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, विनियम 22 के अधीन नए सिरे से या पुनः रजिस्ट्रीकृत छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया है, उसके द्वारा अपने पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण के अधीन एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल से पूर्व में प्राप्त छूट के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी।

(4) परिषद् कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा के ऐसे एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल का अवधारण कर सकेगी जिससे किसी अभ्यर्थी को, ऐसी छूट-फीस का संदाय करने पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, परिषद् द्वारा यथा-अधिसूचित पाठ्य-विवरण के अधीन उसके द्वारा एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल से पूर्व में प्राप्त छूट के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी।

38. वृत्तिक कार्यक्रम में प्रवेश.— (1) कोई रजिस्ट्रीकृत छात्र, वृत्तिक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने की दृष्टि से ऐसे प्ररूप में, जो परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस, वार्षिक अभिदान, अध्ययन फीस और ऐसी अन्य फीस सहित, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, आवेदन करेगा और परिषद् के समाधानप्रद रूप में ऐसा सबूत प्रस्तुत करेगा कि उसने संस्थान का कार्यकारी कार्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है या उसे उससे छूट प्रदान की गई है।

(2) प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला ऐसा रजिस्ट्रीकृत छात्र पहचान कार्ड अभिप्रास करेगा और यह वचनबंध भी करेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत छात्र के रूप में अपना आचरण ऐसी रीति में करेगा जो कि कंपनी सचिव के व्यवसाय के आदर्शों और मानकों के लिए शोभनीय हो और वह संस्थान के दिशानिर्देशों और आदेशों का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सचिव द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, उसके द्वारा संदत्त फीस का, ऐसे प्रशासनिक प्रभारों की कटौती के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिदाय किए जाने का हकदार होगा।

39. वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के लिए नामांकन.— (1) वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा में नामांकन के लिए पात्र बनने की दृष्टि से छात्र के लिए उस मास से, जिसमें परीक्षा प्रारंभ होनी है, कम से कम छह कलेंडर मास पूर्व, और जैसा कि यदि परीक्षा दिसम्बर में प्रारंभ होती है तो उस कलेंडर वर्ष के मई मास तक रजिस्ट्रीकृत छात्र ही वृत्तिक कार्यक्रम के लिए स्वयं को ऐसी रीति और पद्धति में, ऐसी परीक्षा फीस और अन्य अपेक्षाओं सहित, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं, रजिस्टर कराना अपेक्षित होगा:

परन्तु किसी छात्र को वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के ऐसे एक समूह या माड्यूल में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, यदि वह उस मास से पूर्व, जिसमें परीक्षा प्रारंभ होनी है, कम से कम चार कलेंडर मास की अवधि के लिए छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, और जैसा कि यदि परीक्षा दिसम्बर में प्रारंभ होती है तो उस वर्ष की जुलाई तक रजिस्ट्रीकृत किसी अभ्यर्थी को अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) संस्थान वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा से पहले ऐसी रीति और पद्धति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, परीक्षा-पूर्व परीक्षण का संचालन कर सकेगा।

(3) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से, वृत्तिक कार्यक्रम के ऐसे सभी छात्र, जिनके पास अधिसूचना की तारीख से पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है, इन विनियमों के अध्याय 6ख में उपबंधित प्रशिक्षण के सिवाय सभी विषयों में इन विनियमों द्वारा शासित होंगे।

40. वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के पाठ्यक्रम की विषयवस्तु- (1) परिषद् वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के लिए पाठ्य-विवरण, प्रश्नपत्रों का संख्या और समूहों या माड्यूलों का अवधारण करेगी जिसे संस्थान के जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा या उसकी वेबसाइट पर डाला जाएगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के सभी समूहों और माड्यूलों में तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि -

(i) वह साथ-साथ लिए जाने पर, एक बार में प्रत्येक ऐसे प्रश्नपत्र में, जिसमें उसका बैठना अपेक्षित है, चालीस प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर सभी प्रश्नपत्रों में कुल पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है; या

(ii) वह ऐसे एकल प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्रों) या समूह (समूहों) या माड्यूल (माड्यूलों) से भिन्न, जो कि परिषद् द्वारा अवधारित स्कीम के अनुसार पूर्ववर्ती पाठ्य-विवरण से नए पाठ्य-विवरण में अंतरण होने पर छूट प्राप्त हैं, सभी प्रश्नपत्रों में बैठता है और एक बार में प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम चालीस प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर सभी प्रश्नपत्रों में कुल पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है:

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी ने अंतरण होने पर नए पाठ्य-विवरण के अधीन कोई माड्यूल या समूह उत्तीर्ण कर लिया है, उस दशा में इस उप-विनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(3) किसी अभ्यर्थी को किसी समूह या माड्यूल में तब उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक बार में प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम चालीस प्रतिशत अंक और उस समूह या माड्यूल के सभी प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(4) जहां कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी ऐसे समूह या माड्यूल के, जिनके लिए वह नामांकित है, प्रश्नपत्रों में बैठा है और उसने किसी प्रश्नपत्र में साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक और समूह या माड्यूल के शेष प्रश्नपत्रों में से प्रत्येक में कम से कम पच्चीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं किन्तु समूह या माड्यूल में अनुत्तीर्ण हो गया है वहां उसे किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में उस प्रश्नपत्र या उन प्रश्नपत्रों से छूट प्रदान की जाएगी जिसमें उसने साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

(5) जहां कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी ऐसे समूह या माड्यूल के, जिनके लिए वह नामांकित है, उस समूह या माड्यूल के किसी प्रश्नपत्र में छूट प्राप्त किए बिना सभी प्रश्नपत्रों में बैठा है और समूह या माड्यूल में समाविष्ट एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हो गया है किन्तु माड्यूल के शेष प्रश्नपत्रों के कुल अंकों के साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं वहां ऐसे सभी शेष प्रश्नपत्रों से छूट प्रदान की जाएगी, जिनमें उसने कुल साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उस समूह या माड्यूल में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में उस प्रश्नपत्र में पुनः बैठता है जिसमें वह अनुत्तीर्ण हो गया था और कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(6) यह छूट वहां रद्द हो गई समझी जाएगी जहां कोई अभ्यर्थी परीक्षा के प्रवेश-प्रमाणपत्र या प्रवेशपत्र में इस आशय के पृष्ठांकन के बावजूद छूट प्राप्त प्रश्नपत्र में बैठता है या अभ्यर्थी ने ऐसी परीक्षा के नामांकन की अंतिम तारीख से पूर्व ऐसे रद्दकरण के लिए स्वयं कोई आवेदन किया है।

स्पष्टीकरण 1- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसे किसी प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में, जिनमें उसने साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर छूट प्राप्त की थी, प्राप्त अंकों को किसी भी पश्चात्वर्ती परीक्षा के लिए उस समूह या माड्यूल के शेष प्रश्नपत्रों के लिए उसके परिणाम की संगणना करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- उप-विनियम (5) के प्रयोजनों के लिए, छूट केवल तीन या उससे अधिक प्रश्नपत्रों वाले किसी समूह या माड्यूल के लिए ही लागू होगी।

स्पष्टीकरण-3 उप-विनियम (5) के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी को छूट प्रदान की गई है और वह किसी पश्चात्पूर्वी परीक्षा में किसी छूटप्राप्त प्रश्नपत्र में बैठता है या औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करके किसी प्रश्नपत्र में छूट को रद्द करता है तो ऐसे सभी प्रश्नपत्रों के लिए छूट कोई सूचना दिए बिना स्वतः रद्द हो जाएगी।

स्पष्टीकरण-4 इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां छूट रद्द कर दी जाती है वहां परीक्षा में प्रश्नपत्र के पुनर्लेखन पर प्राप्त वास्तविक अंकों को हिसाब में लिया जाएगा।

(7) किसी अभ्यर्थी को कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा में विशिष्टता सहित उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह किसी प्रश्नपत्र में छूट प्राप्त किए बिना एक ही बार में प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम साठ प्रतिशत अंक और सभी समूहों या माड्यूलों में कुल मिलाकर सत्तर प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है।

(8) किसी अभ्यर्थी को सभी प्रश्नपत्रों, समूहों या माड्यूलों को ऊपर निर्दिष्ट रीति में उत्तीर्ण करने पर वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

41. वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के प्रश्नपत्रों से छूट- (1) परिषद् वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के ऐसे एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल का अवधारण कर सकेगी जिससे ऐसे अभ्यर्थी को छूट प्रदान की जा सकेगी जिसने किसी विश्वविद्यालय या व्यक्तिकारी आधार पर भारत या विदेश में ऐसे वृत्तिक संस्थान या निकाय की, जिसे परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की जाए, ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट ऐसी छूट-फीस का संदाय करने पर प्रदान की जाएगी, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए।

(3) परिषद् वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के ऐसे तत्समान एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल का अवधारण कर सकेगी जिससे किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे ऐसी छूट-फीस का संदाय करने पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, विनियम 22 के अधीन नए सिरे से या पुनः रजिस्ट्रीकृत छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया है, उसके द्वारा अपने पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण के अधीन एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल से पूर्व में प्राप्त छूट के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी।

(4) परिषद् वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा के ऐसे एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल का अवधारण कर सकेगी जिससे किसी अभ्यर्थी को, ऐसी छूट-फीस का संदाय करने पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, परिषद् द्वारा यथा-अधिसूचित पाठ्य-विवरण के अधीन उसके द्वारा एकल प्रश्नपत्र या समूह या माड्यूल से पूर्व में प्राप्त छूट के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी।

42. परीक्षा परिणाम- (1) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों और उसके परिणाम की सूचना दी जाएगी किन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में, व्यष्टिक प्रश्न या किसी प्रश्नपत्र के भाग में प्राप्त अंक नहीं दिए जाएंगे। किसी विवाद की दशा में, संस्थान द्वारा समुचित प्ररूप में जारी की गई परिणाम-सह-अंक विवरणी ही निश्चायक सबूत होगी।

(2) अभ्यर्थी, अपने परीक्षा के परिणाम की घोषणा से इक्कीस दिन के भीतर संस्थान में ऐसी फीस सहित, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, इस बारे में अंकों का सत्यापन कराने के लिए आवेदन कर सकेगा कि क्या किसी परीक्षा में किसी विशिष्ट प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों की जांच की गई है और उसके लिए अंक दिए गए हैं अथवा नहीं।

स्पष्टीकरण 1 – इस उप-विनियम में निर्दिष्ट फीस केवल इस बात का सत्यापन करने के लिए है कि क्या किसी विशिष्ट विषय या विषयों में अभ्यर्थी के उत्तरों की जांच की गई है और उनका मूल्यांकन किया गया है और यह उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए नहीं है।

स्पष्टीकरण 2 – शंका के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उत्तरों की पुनः जांच कराने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(3) वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, सचिव द्वारा समुचित प्ररूप में या इलैक्ट्रॉनिक पद्धति में उस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(4) यदि यह पाया जाता है कि किसी परीक्षा का परिणाम किसी त्रुटि या उस प्रकृति के किसी अन्य दृष्टांत द्वारा प्रभावित हुआ है तो परीक्षा समिति के पास ऐसे परिणाम में ऐसी रीति में, जो ऐसी समिति द्वारा अवधारित की जाए, सुधार करने और ऐसी घोषणा करने की शक्ति होगी जो वह उस निमित्त आवश्यक समझे।

- 43. परीक्षा में छूट का पुनःप्रवर्तन.**— यदि कोई अभ्यर्थी उसके द्वारा किसी प्रश्नपत्र में प्राप्त छूट को या उसके द्वारा किसी भी विनियम के अधीन इससे पूर्व उत्तीर्ण की गई किसी परीक्षा के किसी समूह या माड्यूल के परिणाम को रद्द करने के लिए आवेदन करता है और रद्दकरण अनुज्ञात कर दिया जाता है तो वह किसी पश्चात्पूर्ति परीक्षा में ऐसी छूट का या यथास्थिति, ऐसे समूह या माड्यूल को उत्तीर्ण करने के फायदे का पुनःप्रवर्तन कराने के लिए पात्र नहीं होगा।
14. उक्त विनियमों में, विनियम 44, विनियम 44क, विनियम 44कक, विनियम 44ख, विनियम 45, विनियम 46 और विनियम 46क का लोप किया जाएगा।
15. उक्त विनियमों में, “अध्याय 6क” के पश्चात् निम्नलिखित “अध्याय 6ख” अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“अध्याय 6ख

व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण अपेक्षाएं

46खक. अध्याय 6ख के उपबंधों का लागू होना.— (1) ऐसा छात्र, जो इस अध्याय के उपबंधों के प्रारंभ की तारीख को अध्याय 6क या अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण ले रहा है, उक्त अध्यायों के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण जारी रख सकेगा और उसे पूरा कर सकेगा :

परन्तु ऐसा छात्र अपने विवेकानुसार, शेष प्रशिक्षण पूरा करने की दृष्टि से इस अध्याय के अधीन प्रशिक्षण में अंतरित हो सकेगा।

(2) ऐसा छात्र, जिसने अध्याय 6क या अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण आरंभ किया था किन्तु बाद में उसे बन्द कर दिया था, इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर शेष प्रशिक्षण अध्याय 6क या अध्याय 7 के अधीन पुनः प्रारंभ करेगा:

परन्तु ऐसा छात्र अपने विवेकानुसार अपने शेष प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए इस अध्याय के अधीन प्रशिक्षण में अंतरित हो सकेगा।

(3) जहां किसी छात्र ने इस अध्याय के उपबंधों के प्रारंभ की तारीख को कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अध्याय 6क के उपबंधों के अनुसार दो वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने का इच्छुक है वहां वह इस अध्याय के उपबंधों के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रारंभ कर सकेगा।

(4) जहां किसी छात्र ने, कार्यकारी कार्यक्रम या वृत्तिक कार्यक्रम में उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख को ध्यान में लिए बिना, उप-विनियम (3) में विहित अवधि के भीतर अपना प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया है वहां वह इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण लेगा।

46खख. व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण अपेक्षाएं.— (1) प्रत्येक छात्र निम्नलिखित प्रशिक्षण ऐसी रीति और पद्धति में, जो संस्थान द्वारा अवधारित की जाए, पूरा करेगा, अर्थात्:-

- (क) कार्यकारी कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक मास की अवधि के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.);
- (ख) कार्यकारी विकास कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात्, पूर्णकालिक आधार पर सामान्य कार्य घंटों के दौरान,-
- (i) ऐसी कंपनी में, जिसमें पूर्णकालिक नियोजन पर एक कंपनी सचिव है या ऐसी किसी अन्य कंपनी में, जो ऐसा मानदंड पूरा करती है, जो संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए; या

(ii) पूर्णकालिक व्यवसाय करने वाले ऐसे कंपनी सचिव के अधीन, जो ऐसा मानदंड पूरा करता है, जो संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए; या

(iii) ऐसे किसी अन्य निगमित निकाय या संस्था या संगठन या इकाई में, जो ऐसा मानदंड पूरा करती है, जो संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए,

इक्कीस मास के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण।

(ग) वृत्तिक कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, कम से कम तीस दिन के लिए किन्तु अधिकतम साठ दिन के लिए, जैसा संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए, कारपोरेट नेतृत्व विकास कार्यक्रम(सी.एल.डी.पी.)।

46खग. व्यावहारिक प्रशिक्षण और कार्यकारी विकास कार्यक्रम से छूट.- (1) ऐसा छात्र, जो विनियम 46खख में निर्दिष्ट कार्यकारी विकास कार्यक्रम के समतुल्य व्यावहारिक ज्ञान और कौशल तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्जित किए जाने का दावा करता है, संस्थान द्वारा अवधारित मानदंड के अनुसार कार्यकारी विकास कार्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने से छूट के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) संस्थान, आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, पूर्ण या आंशिक छूट या सशर्त छूट प्रदान कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

46खघ. व्यावहारिक प्रशिक्षण का सबूत.- (1) ऐसा छात्र, जिसका आशय सहयुक्त सदस्यता की ईप्सा करना है, संस्थान को ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा, जो संस्थान द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) छात्र, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ संस्थान के समाधानप्रद रूप में ऐसा दस्तावेज़ी सबूत संलग्न करेगा कि उसने अपेक्षित व्यावहारिक प्रशिक्षण ले लिया है या उसे इन विनियमों के अनुसार उससे छूट प्रदान की गई है।

46खड. प्रशिक्षण के दौरान, जिसके अंतर्गत कार्यकारी विकास कार्यक्रम और कारपोरेट नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी हैं, अवचार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई.- ऐसे छात्र द्वारा, जो व्यावहारिक प्रशिक्षण ले रहा है या कार्यकारी विकास कार्यक्रम या कारपोरेट नेतृत्व विकास कार्यक्रम कर रहा है, कोई अवचार या किसी आचार संहिता या किसी विनियम का अतिक्रमण करने की दशा में, परिषद् स्वप्रेरणा से या कोई शिकायत प्राप्त होने पर, यदि उसका ऐसे अन्वेषण के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे और सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अवचार या अतिक्रमण की विद्यमानता के बारे में समाधान हो जाता है, छात्र को धिगदंड दे सकेगी या छात्र के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगी या संस्थान की एक या अधिक परीक्षाओं में बैठने से निलंबित या वर्जित कर सकेगी या यह निदेश दे सकेगी कि पहले से लिए गए प्रशिक्षण की किसी अवधि की गणना अध्याय 6क, अध्याय 7 और इस अध्याय के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी या ऐसे छात्र को संस्थान की सहयुक्त सदस्यता में प्रवेश के लिए अनुपयुक्त घोषित कर सकेगी।

16. उक्त विनियमों में, “अध्याय 7क” के स्थान पर निम्नलिखित “अध्याय 7क” रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अध्याय 7क

विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रम और परीक्षाएं

55ख. विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रम और परीक्षाएं.- संस्थान ऐसे एक या अधिक विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रमों का संचालन कर सकेगा, जो वह छात्रों और सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए उपयोगी समझे, व्यावहारिक या सैद्धांतिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला सकेगा, ऐसे विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रमों के विषयों के लिए परीक्षा का संचालन कर सकेगा और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, प्रमाणपत्र या डिप्लोमा प्रदान कर सकेगा।

55ग. विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र दिया जाना.- विशेषज्ञीय और उन्नत पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थी को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र, जैसा परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, दिया जाएगा और वह ऐसे वर्णन का प्रयोग करने का हकदार होगा, जो परिषद् द्वारा ऐसे डिप्लोमा या प्रमाणपत्र की बाबत अवधारित किया जाए।

55घ. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम.- (1) संस्थान सदस्यों के लिए ऐसी रीति, पद्धति में और ऐसे अंतराल के पश्चात्, जैसा परिषद् अवधारित करे, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और उसके लिए परीक्षा का संचालन करेगा।

(2) सदस्य के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह या तो ऐसा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ले या संस्थान द्वारा संचालित परीक्षा में बैठे।

(3) कोई सदस्य ऐसा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ले सकेगा तथा परीक्षा में भी बैठ सकेगा।

परन्तु संस्थान, ऐसे किसी सदस्य को, जो ऐसा मानदंड पूरा करता है, जैसा परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम लेने से छूट प्रदान कर सकेगा।

(4) इस विनियम के उपबंधों के अधीन छूट की ईप्सा करने वाला कोई सदस्य संस्थान को ऐसे प्ररूप, रीति, पद्धति में और ऐसी फीस सहित, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए, आवेदन करेगा।”

17. उक्त विनियमों के विनियम 55ड से 55ध तक (जिसमें दोनों समाविष्ट हैं) का लोप किया जाएगा।

18. उक्त विनियमों के विनियम 100 के खंड (ड) में “खंड (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “खंड (ज)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा।

19. उक्त विनियमों में, विनियम 105 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“105क. सचिवीय मानक समिति और लेखापरीक्षा मानक समिति का गठन.- (1) परिषद्, (क) सचिवीय मानक समिति और (2) लेखापरीक्षा मानक समिति का गठन कर सकेगी, जैसा वह संस्थान के कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन गठित समिति परिषद् के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन कृत्य करेगी।

(3) ऐसा सदस्य, जिसका ऐसे किसी विषय में, जो समिति के समक्ष विचारार्थ लाया जाता है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धनीय हित है या धनीय हित होने का बोध है, ऐसे विषय में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को समिति की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट सदस्य ऐसे विषय पर समिति की किसी चर्चा या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, “धनीय हित” से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय अभिलाभकी युक्तियुक्त संभावना या प्रत्याशा अभिप्रेत है।

(5) अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति को अपने किसी कर्तव्य और कृत्य को बैठक में पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या परिषद् सदस्य या सचिव या मुख्य कार्यपालक या संस्थान के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जो निदेशक के रैंक से नीचे का न हो, जैसा आवश्यक समझा जाए, प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी।

(6) परिषद् और उसकी समितियों की बैठकों, सूचना, स्थगन, पुनःनियतन, कोरम, संकल्प और कार्यवृत्त पर विचार करने की बाबत उपबंध, सिवाय वहां जहां कि विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित हो, समिति की बैठकों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

105ख. शैक्षणिक समिति का गठन और उसके कृत्य.- (1) परिषद् एक शैक्षणिक समिति का गठन करेगी, जिसमें धारा 17 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगे,

(2) परिषद्, शैक्षणिक समिति की सहायता के लिए ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगी जो वह अपने कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(3) अध्यक्ष, शैक्षणिक समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रिती होगा।

(4) शैक्षणिक समिति के सदस्य उतनी अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जितनी परिषद् द्वारा अवधारित की जाए और शैक्षणिक समिति में होने वाली किसी रिक्ति को परिषद् द्वारा उसी रीति में भरा जाएगा जिसमें उस सदस्य को, जिसकी रिक्ति हुई है, रखा गया था;

(5) शैक्षणिक समिति के सदस्य ऐसी बैठक फीस, यात्रा, वाहन और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो परिषद् द्वारा अवधारित किए जाएं:

परन्तु परिषद् का सदस्य किसी बैठक फीस का हकदार नहीं होगा।

(6) शैक्षणिक समिति को छात्रों से संबंधित समस्त शैक्षणिक क्रियाकलापों की योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन करने का कार्य सौंपा जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:-

- (i) आर्थिक और विनियमनकारी वातावरण का अवलोकन;
- (ii) पाठ्य-विवरण और उसकी अंतर्वस्तु की रूपरेखा तैयार करना और उनका कालिकत, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण;
- (iii) शिक्षा पद्धति की रूपरेखा तैयार करना;
- (iv) प्रशिक्षण अपेक्षाओं का निर्धारण और उन्हें अंतिम रूप देना;
- (v) परीक्षा पद्धति और मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना;
- (vi) परिषद् को, जब भी आवश्यक हो, आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना;
- (vii) अन्य कोई संबंधित शैक्षणिक विषय:

परन्तु समिति उपर्युक्त की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर करेगी और जब भी आवश्यक हो, परिषद् को आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करेगी;

परन्तु यह और कि शैक्षणिक समिति को सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत ऐसा कोई अन्य क्षेत्र शामिल हो सकेगा, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए।

(7) शैक्षणिक समिति की, जब भी अपेक्षित हो, बैठक होगी तथापि छमाही आधार पर कम से कम एक बैठक होगी और दो बैठकों के बीच कम से चार मास का अंतराल होगा।

(8) शैक्षणिक समिति का कोरम समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से कम नहीं होगा।

(9) ऐसा सदस्य, जिसका ऐसे किसी विषय में, जो शैक्षणिक समिति के समक्ष विचारार्थ लाया जाता है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धनीय हित है या धनीय हित होने का बोध है, ऐसे विषय में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को समिति की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा।

(10) उप-विनियम (9) में निर्दिष्ट सदस्य ऐसे विषय पर समिति की किसी चर्चा या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

(11) शैक्षणिक समिति, परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा-विनिश्चित संस्थान के समग्र नीतिगत ढांचे और दृष्टि के अनुसार कार्य करेगी।

(12) परिषद् को शैक्षणिक समिति द्वारा उसे समनुदेशित और प्रत्यायोजित कृत्यों का पालन करने में किए गए किसी विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(13) जहां परिषद् शैक्षणिक समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है वहां वह इसके लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करेगी और उसे संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट करेगी।

(14) अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति अपने किसी कर्तव्य और कृत्य को संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या परिषद् सदस्य या सचिव या मुख्य कार्यपालक या संस्थान के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जो निदेशक के रैंक से नीचे का न हो, जैसा आवश्यक और समीचीन समझा जाए, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

20. उक्त विनियमों के विनियम 159 के उप-विनियम (1) में, “बीस रुपये” और “दस रुपये” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “दो सौ रूपए” और “एक सौ रूपए” शब्द रखे जाएंगे।

21. उक्त विनियमों के विनियम 160 में,-

- (क) उप-विनियम (1) में, “डाक द्वारा” शब्दों के स्थान पर “डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा या अनुज्ञात इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा या दस्ती परिदान द्वारा या छोड़कर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- (ख) उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- “(2) संस्थान को.- संस्थान या उसके किसी अधिकारी को किसी सूचना या दस्तावेज़ की तामील, उसे संस्थान या अधिकारी को राष्ट्रीय राजधानी-क्षेत्र में संस्थान के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवाओं या अनुज्ञात इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा या राष्ट्रीय राजधानी-क्षेत्र में स्थित उसके प्रधान कार्यालय या संस्थान के अन्य कार्यालयों में छोड़कर की जा सकेगी।”
22. उक्त विनियमों में, विनियम 165 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम 165क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “165क. बहुविषयक फर्म.- व्यवसाय करने वाला कोई सदस्य विनियमों 168क और 168ख के अधीन यथा-विहित अन्य वृत्तिक निकायों के सदस्य के साथ, परिषद् के ऐसी बहुविषयक फर्म के कार्यकरण और विनियमन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, बहुविषयक फर्म गठित कर सकेगा।”
23. उक्त विनियमों के विनियम 169,-
- (क) उप-विनियम (1) में, “व्यवसाय करने वाला कोई कंपनी सचिव” शब्दों के पश्चात् “बहुविषयक फर्म” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) उप-विनियम (2) में, “व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिव” शब्दों के पश्चात् “बहुविषयक फर्म” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “(2क) व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिव द्वारा या व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिवों की फर्म या बहुविषयक फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यापार या फर्म के नाम का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए संस्थान को ऐसे प्ररूप में, जो परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, आवेदन करना अपेक्षित है।”
24. उक्त विनियमों में, विनियम 172 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- “172. फीस के संदाय की पद्धति.- संस्थान को संदेय सभी फीसों और अन्य शोध, ऐसी पद्धतियों द्वारा, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं, “भारतीय कंपनी सचिव संस्थान” के पक्ष में संदत्त या विप्रेषित किए जाएंगे।”
25. उक्त विनियमों में, “अनुसूची ‘क’ सदस्यों का रजिस्टर” के खंड 6 में, उप-खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- “(ग) मोबाइल नम्बर
- (घ) टेलीफोन नम्बर.....
- (ङ) ईमेल आई.डी.”
26. उक्त विनियमों में, अनुसूची ग, अनुसूची गग, अनुसूची गगक, अनुसूची गगख, अनुसूची घ, अनुसूची ङ, अनुसूची छ और अनुसूची ज का लोप किया जाएगा।

परिषद् के आदेशानुसार,

अशोक कुमार दीक्षित, कार्यवाहक सचिव,
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

[विज्ञापन-III/4/असा./431/2019]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. सं. 710/2(1), तारीख 16 सितम्बर, 1982 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए -

- (i) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(1) तारीख 30 मार्च, 1984;

- (ii) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(1) तारीख 3 मई, 1984;
- (iii) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(1) तारीख 30 दिसम्बर, 1985;
- (iv) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(1) तारीख 9 सितम्बर, 1986;
- (v) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(1) तारीख 23 फरवरी, 1987;
- (vi) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(1) तारीख 9 मार्च, 1987;
- (vii) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(1) तारीख 22 अगस्त, 1988;
- (viii) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(1) तारीख 23 अगस्त, 1988;
- (ix) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(18) तारीख 20 अगस्त, 1993 और 24 नवम्बर, 1993;
- (x) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/1/एम/(17) तारीख 21 फरवरी, 1995;
- (xi) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(20) तारीख 28 नवम्बर, 1996;
- (xii) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/2/एम(26) तारीख 10 अगस्त, 2001;
- (xiii) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/1/एम/1 तारीख 3 मई, 2006;
- (xiv) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/1/एम/1 तारीख 26 जून, 2006;
- (xv) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/1/एम/1 तारीख 23 जुलाई, 2010;
- (xvi) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/1(एम)/2 तारीख 4 जून, 2012;
- (xvii) अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई./710/1(एम)/1 तारीख 1 अप्रैल, 2014.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA)

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2020

No. 710/1 (M)/1.—WHEREAS the draft regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982 were published, as required by sub-section (3) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), at pages 1 to 34, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 6th August, 2019, *vide* notification of the Institute of Company Secretaries of India number 710/1(M)/1, dated the 6th August, 2019, for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said notification as published in the Gazette of India were made available to the general public;

AND WHEREAS, objections and suggestions were invited before the expiry of the said period of forty five days from the date on which the copies of the said Gazette was made available to the general public on 6th August, 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions as received from the general public have been considered by the Council;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2020.

- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. **In the Company Secretaries Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely:-**

“(ia) ‘misconduct’ in relation to a registered student or a candidate enrolled for any examination conducted by the Institute means behaviour in disorderly manner in relation to the Institute or in or around an examination centre or premises, or breach of any provision of the Act, rule, regulation, notification, condition, guideline, direction, advisory, circular of the Institute, or adoption of malpractices with regard to postal or oral tuition or resorting to or attempting to resort to unfair means in connection with writing of any examination conducted by the Institute, or tampering with the Institute’s record or database, writing or sharing information about the Institute on public forums, social networking or any print or electronic media which is defamatory or any other act which may harm, damage, hamper or challenge the secrecy, decorum or sanctity of examination or training or any policy of the Institute;

(ib) ‘misconduct’ in relation to a candidate undergoing practical training or any other training by whatever name called, as determined by the Council, means behaviour in disorderly manner in relation to the Institute or in or around the place where undergoing training, or breach of any provision of the Act, rule, regulation, notification, condition, guideline, direction, advisory, circular of the Institute, or tampering with Institute’s record or database, writing or sharing information about the Institute on public forums, social networking or any print or electronic media which is defamatory, malpractice with regard to training or resorting to or attempting to resort to unfair means in connection with the undergoing training or seeking exemption from undergoing training or for breach of any policy, rule or regulation of the organisation in which he is undergoing training;”

3. In the said regulations, for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely:-

“3. Register of Members.- (1) The Institute shall maintain a Register of Members in the proforma referred to in Schedule ‘A’ manually or electronically or in any other mode as may be determined by the Council.

(2) The Register of Members shall contain full name, date of birth, domicile, professional address, residential address, membership number, date of acquiring membership, qualifications, certificate of practice number if holding, email id, mobile number, telephone number if any, and such other particulars as may be determined by the Council.

(3) The member shall communicate to the Institute any change of his details entered in the Register, within thirty days of such change.”

4. In the said regulations, in regulation 4,-

(A) in sub-regulation (1),-

(i) clauses (a), (b) and (c) shall be omitted;

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) has passed examinations conducted by the dissolved company and has completed practical training either as prescribed in the earlier regulations or as prescribed in the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2020 or”

(iii) in clause (e), for the words, “specified in Chapter VII of these regulations; or”, the words, “prescribed in these regulations; or” shall be substituted;

(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

“(f) has passed such other examination and completed such other training outside India as is recognised by the Central Government or the Council as being equivalent to the examination and training prescribed in these regulations; or”

- (v) in clause (h), for the words, brackets, letters, and figures, “clause (p) of section 2 of the Foreign Exchange Regulations Act, 1973 (46 of 1973)” the words, brackets, letters and figures “clause (w) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999)” shall be substituted;

(B) for sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(2) Fellow members:

(i) No person shall be entitled to have his name entered in the Register as a Fellow unless he,-

- (a) was a Fellow including Honorary Fellow of the dissolved company immediately before the commencement of the Act; or
- (b) was admitted as a Fellow under the earlier regulations; or
- (c) is an Associate and has been in continuous practice in India as a Company Secretary for at least five years; or
- (d) is an Associate for a continuous period of not less than five years and possesses such qualifications or practical experience as may be determined by the Council.

(ii) No Associate member shall be admitted as a fellow member of the Institute, if; -

- (a) he has been found guilty of any professional or other misconduct and his name has been removed from the Register or he has been imposed fine referred in sub-section (3) of sections 21A or sub-section (3) of section 21B at any time during the preceding five years on the date of application; or
- (b) he has not completed such minimum numbers of Professional Development Credit Hours as may be determined by the Council:

Provided that in the case of any person belonging to any of the classes mentioned in sub-regulations (1) and (2), who is not permanently residing in India, the Council may, by resolution, determine, such further qualifications and conditions, as it may deem necessary or expedient.”

5. In the said regulations, in regulation 5, in sub-regulation (1), for the words, “Every person who desires”, the words “Any person who intends” shall be substituted.

6. In the said regulations, in regulation 6,-

- (a) in sub-regulation (1), for the words, “Every person”, the words “Any person” shall be substituted;
- (b) in sub-regulation (2), after the words “as may be determined”, the words, “by notification” shall be inserted;
- (c) in sub-regulation (4),-
 - (i) after the words “annual membership fee”, the words, brackets and letters “along with such certificate of living and Know Your Member (KYM) declaration in appropriate Form” shall be inserted;
 - (ii) third proviso to sub-regulation (4) shall be omitted;
 - (iii) in fourth proviso for the words “age of seventy years or above and is not in any gainful employment or in practice”, the words “age of seventy years or above” shall be substituted;
 - (iv) the following fifth and sixth proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that a member, who is physically challenged, irrespective of his age, shall pay half of the annual membership fee on submission of disability certificate issued by the competent authority;

Provided also that if a member is physically challenged and is also of the age of seventy years or above, shall pay one-eighth of the annual membership fee on submission of a declaration and a disability certificate issued by the competent authority”.

7. In the said regulations, in regulation 7, after the words “fees paid by him” the words “after deducting administrative charges as may be determined by the Institute” shall be inserted.
8. In the said regulations, for regulations 8, 9, 10, 11 and 12, the following regulations shall be substituted, namely:-

“8. **Non-payment of dues.**- (1) Annual fee: Any person who has not paid his annual membership fee on or before thirtieth June of that year his name shall be removed from the Register from the first day of July of that year without any further notice.

(2) **Other dues:** Any person who has not paid the fine, penalty or any other dues payable to the Institute as a member within ninety days from the date of notice of such outstanding amount, his name shall be removed from the Register on the expiry of the said period of ninety days.

9. **Certificate of Membership.**- (1) On acceptance of application for membership by the Council, full name, date of birth, domicile, professional address, residential address, membership number, date of acquiring membership, qualifications, email id, mobile number, telephone number if any, and such other particulars as may be determined by the Council shall be entered in the Register and a Certificate of Membership in the appropriate form shall be issued to him by the Council.

(2) A member whose name is removed from the Register under any of the provisions of the Act or these regulations shall surrender the Certificate of Membership then held by him to the Secretary within fifteen days from the date of receipt of notice of such removal or cancellation and shall not use or display or continue to use or display the same certificate or membership number in any manner.

10. **Certificate of Practice.**- (1) A member, after successful completion of Orientation Programme in such manner and mode as may be determined by the Council, may apply to the Institute in the appropriate form for issue of a certificate of practise entitling him to practise as a Company Secretary anywhere in India.

(2) Upon acceptance of the application by the Institute received under sub-regulation (1), the certificate shall be issued in the appropriate form which shall be valid until it is cancelled.

(3) In the case of renewal of the certificate of practice, after acceptance of the application by the Institute, the Secretary shall issue a letter extending the validity period of the certificate of practice for that year in the appropriate form.

(4) The request of member who surrenders his certificate of practice will be considered only on receipt of the original certificate.

(5) A member who ceases to be in practice or whose certificate of practice has been cancelled under regulation 11 except clause (d) of Regulation 11 shall surrender the certificate then held by him to the Secretary within fifteen days from the date of receipt of notice of such cancellation and shall not use or display or continue to use or display the same certificate or membership number in any manner.

11. **Cancellation of certificate of Practice.**-(1) A certificate of practice issued under sub-section (1) of section 6 of the Act shall be liable for cancellation, if –

(a) the name of the holder of the certificate is removed from the Register under sub-sections (1) and (2) of section 20 of the Act; or

(b) the Council is satisfied, after giving an opportunity of being heard to the person concerned, that such certificate was issued on the basis of incorrect, misleading or false

information provided by the applicant, or by mistake or inadvertence on the part of the Institute ; or

(c) a member who ceased to practice; or

(d) a member who has surrendered his Certificate of Practice; or

(e) a member who has not paid annual fee for renewal of certificate of practice till 30th day of June of the relevant year; or

(f) a member who has not complied with the guidelines of the Council; or

(g) a member who ceases to be an Indian National;

(2) The cancellation of a certificate shall be effective, –

(a) in a case falling under clause (a) of sub-regulation (1), on the date on which and during the period for which the name of the holder of the certificate was removed from the Register of members;

(b) in a case falling under clause (e) of sub-regulation (1), from the 1st day of July of the relevant year without any notice; and

(c) in any other case, from such date and for such period, as may be determined by the Council;

(3) When a certificate is cancelled, the date from which and the period for which the certificate shall stand cancelled shall be communicated in writing by registered post or speed post or courier or by any electronic mode to the member concerned at his professional address and email id available in the Register and may also be published in the Journal or hosted on the website of the Institute.

(4) Where a certificate of practice is cancelled under regulation 11 except clause (1)(d) of Regulation 11, the holder of such certificate shall return the certificate to the Secretary within fifteen days from the date of receipt of notice of such cancellation and shall not use or display or continue to use or display the same certificate or membership number in any manner.

(5) The request of member who surrenders his certificate of practice will be considered only on receipt of the original certificate.

12. Notification of removal of Membership.—The removal of the name of any member from the Register shall be communicated in writing to him by registered post or speed post or courier or by any electronic mode at the professional address and email id available in the Register and may also be published in the Journal or hosted on the website of the Institute.”

9. In the said regulations, in regulation 13,-

(a) in sub-regulation (2),

(i) for the word “and”, the words “along with” shall be substituted;

(ii) in the second proviso, for the words “or the High Court”, the words “or any Tribunal or a Court” shall be substituted;

(b) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) The restoration of a member’s name to the register shall be communicated in writing to him by registered post or speed post or courier or by any electronic mode and may also be published in the journal or hosted on the website of the Institute.”

10. In the said regulations, in regulation 14, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) On acceptance of the application for restoration, the restoration of certificate of practice shall be communicated in writing to the person concerned by registered post or speed post or courier or by any electronic mode and may also be published in the Journal or hosted on the website of the Institute.”

11. In the said regulations, for “Chapter IV”, the following “Chapter IV” shall be substituted, namely:-

“Chapter IV

Registration of Students

19A. Programme of Company Secretaryship Course.- The Company Secretaryship Course shall have two programmes, namely:-

- (1) Executive Programme; and
- (2) Professional Programme:

Provided that the Institute may review the Programmes mentioned above and modify the same in such manner as may be determined by the Council.

20. Conditions for registration to the Executive Programme.- (1) In order to become eligible for registration as a student of Executive Programme, an applicant, who is an Indian National, shall apply in the appropriate form, along with the student registration fee, annual subscription, if applicable, education fee and such other fees, as may be determined by the Council and shall also produce proof to the satisfaction of the Council that he,-

(i) has passed Senior Secondary Examination (10+2 system) conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognised by the Central Government or State Government or equivalent thereto for the purposes of admission to Bachelor’s degree course and has complied with such requirements as may be determined by the Council; and

(ii) has passed Company Secretary Executive Entrance Test (CSEET) conducted by the Institute in such manner, mode and eligibility as may be determined by the Council or any other test or examination recognised or equivalent thereto or exempted therefrom by the Council:

Provided that from the date of the introduction of the Company Secretary Executive Entrance Test under these regulations, all the students of Foundation Programme having valid registrations immediately before the date of introduction of the Company Secretary Executive Entrance Test, may be given such relaxation for number of attempts in the Foundation Programme Examination or allowed to appear in the Company Secretary Executive Entrance Test as may be determined by the Council:

Provided further that the number of attempt or relaxation in the Foundation Programme Examination shall in no case be beyond the date of expiry of his registration.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Council may allow a person of foreign national to seek registration in the Company Secretaryship Course.

(3) A person making an application for registration shall obtain an identity card and give an undertaking that he shall, as a registered student, conduct himself in a manner befitting the ideals and standards of the profession of Company Secretaries and shall abide by the guidelines and orders of the Council.

(4) Every person whose application for registration is not accepted by the Secretary for the reasons to be recorded thereon in writing shall be entitled for refund of the fee paid by him, subject to deduction of such administrative charges as the Council may determine.

21. Registration of student and time limit for completing examinations.- (1) A person applying to become a registered student shall be registered in accordance with the provisions of these regulations for a period of five years from the month in which his application, complete in all respects, is accepted by the Secretary for registration.

(2) A registered student shall be required to complete the Executive Programme examination and Professional Programme examination within the registration period referred in sub-regulation (1).

(3) The registration of a student shall stand terminated on the expiry of said registration period of five years:

Provided that he shall be required to keep the validity of registration renewed in terms of regulations 22 and 23 on payment of such fee as may be determined by the Council in order to complete the course or the training or any other requirement or for claiming exemption or for completing formalities required to be eligible to become a member of the Institute.

- 22. Registration de novo and re-registration.**- A student whose registration has been terminated under sub-regulation (3) of regulation 21, may within five years of termination of his registration, apply with such education fee, service charge and other fee, as may be determined by the Council subject to the provisions of regulation 25 in the appropriate form to become a registered student de novo, and on his application being accepted by the Secretary, he shall be deemed for all purposes to have been admitted as a fresh registered student except that he shall be entitled to claim exemption, without payment of any exemption fee, from individual subject or group or module of the Executive Programme Examination and Professional Programme Examination, previously secured by him under his former registration with the Institute, as the case may be:

Provided that where a student applies after the expiry of five years period from the date of lapse of registration but has passed Intermediate Course or Executive Programme under any syllabus, he may seek re-registration to Professional Programme on the terms and conditions as may be determined by the Council.

- 23. Continuation of registration.**- A student who has passed Professional Programme examination and whose registration has been terminated under sub-regulation (3) of regulation 21 shall apply to the Institute for continuation of his registration as a student to complete the course or training or any other training related requirements or exemption thereto on payment of such fee as may be determined by the Council, so as to become entitled to be enrolled as member of the Institute.
- 24. Status of registered student.**- The registration of a person as a student shall neither confer on such person any right of a member nor entitle him to claim any form of membership of the Institute or its Regional Council or Chapter, as the case may be:

Provided that such student may be permitted to borrow books from the library of the Institute, Regional Council or Chapter or participate in the activities of the Institute, its Regional Council or Chapter, as the case may, be subject to such conditions as may be determined by the Council, Regional Council or Chapter, as the case may be.

- 25. Fees by registered student.**- (1) A person registered as a student shall be required to pay such fee and other subscription as may be determined by the Council which shall be due and payable to the Institute.
- (2) All other fees payable by an applicant for any examination or for registration as a student or by a registered student for particular services to be rendered to him shall be such as may be determined by the Council.

- 26. Examination requirements.**-(1) A registered student shall be required to comply with such conditions relating to examinations as may be determined by the Council.
- (2) The Examination Committee or a person authorized by it in this behalf may, by an Order in writing and for reasons to be recorded therein,-
- (a) refuse to admit a candidate to an examination; or
 - (b) admit him to an examination subject to such conditions as it or he may consider to be reasonable in the circumstances of a case; or
 - (c) expel him from an examination, after he has been admitted to it in the usual course.

(d) take any other action as may be deemed fit.

(3) Notwithstanding the fact that a candidate has obtained the minimum number of marks for passing an examination, the Examination Committee may, for reasons to be recorded in writing, withhold or cancel his result.

(4) Any order made under sub-regulation (2), by the person authorised by the Examination Committee may be reviewed by the Committee and any order passed by the Examination Committee may be reviewed by the Council.

27. Suspension and cancellation of examination result or registration.- In the event of any misconduct by a registered student or a candidate enrolled for any examination conducted by the Institute, the Council or any Committee formed by the Council in this regard, may *suo-moto* or on receipt of a complaint, if it is satisfied that, the misconduct is proved after such investigation as it may deem necessary and after giving such student or candidate an opportunity of being heard, suspend or debar him from appearing in any one or more examinations, cancel his examination result, or registration as a student, or debar him from re-registration as a student, or take such action as may be deemed fit.

28. Teaching and training administration.- (1) The Institute may determine and arrange for imparting teaching or training or both, for such period as may be determined by it, through postal, class room, electronic mode or any other mode.

(2) The Institute for this purpose may establish and operate teaching and training administration by whatever name called, make guidelines and charge such fee as may be determined by the Council.

(3) The Institute may determine the criteria for selection and registration of a trainer or an organisation or an entity for imparting training to the students.

(4) The teaching and training administration shall function under the supervision, control and direction of the Institute.”

12. In the said regulations, for “Chapter IVA Corporate Compliance Executive Certificate – ICSI”, the following, “Chapter IVA” shall be substituted, namely:-

“Chapter IVA

Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive Certificate

28A. Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive Certificate.- (1) Institute may award Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive Certificate to a student, who has:-

- (i) passed the Executive Programme;
- (ii) completed Executive Development Programme or any other equivalent programme as determined by the Council and such Practical Training as is prescribed under these regulations or exempted therefrom; and
- (iii) made an application in such manner and mode alongwith such fee as may be determined by the Council.

(2) A student having awarded the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive Certificate shall be entitled to use the description “Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive”.

(3) A Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive may continue to pursue the regular Company Secretaryship course.

(4) A Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive shall secure such number of Professional Development Credit Hours on annual basis as the Council may

determine, for renewal of Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive Certificate.

(5) The grant of Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive Certificate shall neither confer on such Secretarial Executive any right of a member, nor entitle him to claim membership of the Institute:

Provided that the Council may grant such recognition to the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive as may be determined by it.

(6) Notwithstanding anything contained in this regulation, the Institute may, on fulfilling such conditions as may be determined by the Council, award Institute of Company Secretaries of India (ICSI) - Secretarial Executive Certificate to the person who is holding Corporate Compliance Executive Certificate.

28B. Status of holder of Corporate Compliance Executive Certificate.- Nothing contained in this chapter shall apply to a holder of Corporate Compliance Executive Certificate.

13. In the said regulations, for “Chapter VI”, the following “Chapters VI” shall be substituted, namely:-

“Chapter VI

Examinations

31. Examination of Company Secretaryship Course.- (1) The Company Secretaryship Examination shall have two stages, namely:-

- (i) Executive Programme Examination; and
- (ii) Professional Programme Examination:

Provided that the Institute may review the number of stages mentioned above and modify the same in such manner as may be determined by the Council.

(2) The examination shall be conducted and application for such examination be made in the following manner namely:

- (i) examination shall be conducted at least once in a year in such manner and at such time and place within India or abroad as the Council may determine;
- (ii) the date and place of examination and other information relating thereto may be hosted on the website of the Institute or published in the Journal or in the Student Company Secretary Bulletin;
- (iii) application for admission to an examination or for exemption from passing any examination shall be made by the candidate to the Secretary in such Form and with such fees as may be determined by the Council.

32. Refund of examination fee.- Examination Fee once paid by the student shall not be refunded:

Provided that where a candidate makes an application to the Institute within thirty days from the last date of the examination for considering refund of examination fee on the ground that he was prevented from appearing in the examination on account of circumstances beyond his control and produce documentary proof and information to the satisfaction of the Institute, the Institute may allow refund of fifty per cent. of the examination fee.

33. Change of examination center, medium and module.- Application for change of examination centre, medium or module shall not ordinarily be entertained but in special circumstances where the application for that purpose is received by the Institute at least thirty days before the date of commencement of the examination, the Institute may allow the change on payment of such fee as may be determined by the Council.

34. Travel concession.- The Institute may on an application made by the student provide a

confirmation about the bonafide of such student to facilitate him to secure any travel concession for appearing in the examination of Institute or for any study tour or research tour of the Institute requiring him to travel from his place of residence to the place of examination or study or research in India.

- 35. Enrolment for Executive Programme Examination.-** (1) In order to become eligible for enrolment to the Executive Programme examination, the student shall be required to register himself for Executive Programme at least six calendar months prior to the month in which the examination is to commence, and the like, if the examination commences in December, the candidate registered upto and including month of May of that calendar year shall be allowed in such manner and mode alongwith such examination fee and other requirements, as may be determined by the Council:

Provided that a student may be allowed to appear in one group or module of Executive Programme examination as may be determined by the Council, if he is registered as a student at least for a period of four calendar months prior to the month in which the examination is to commence and the like, if the examination commences in December, a candidate registered upto and including July of that year shall be allowed.

(2) The Institute may conduct pre-exam test before the Executive Programme Examination in such manner and mode as may be determined by the Council.

(3) From the date of the notification of these regulations, all the students of the Executive Programme having valid registration prior to date of notification shall be governed by these regulations for all the matters except that for the training provided in Chapter VIB of these regulations.

- 36. Course contents of Executive Programme Examination.-** (1) The Council shall determine the syllabus, the number of papers and groups or modules for the Executive Programme Examination which shall be published in the Journal or hosted on the website of the Institute.

(2) A candidate shall be declared pass in all groups or modules of the Executive Programme Examination, if:

- (i) taken simultaneously, he secures at one sitting, a minimum of forty per cent. marks in each paper in which he is required to appear and fifty per cent. marks in aggregate of all papers put together; or
- (ii) appears in all papers other than those individual paper(s) or group(s) or module(s) which are exempted on switchover from previous syllabus to new syllabus as per the scheme determined by the Council and secures at one sitting, a minimum of forty per cent. marks in each paper and fifty per cent. marks in aggregate of all papers put together:

Provided that, where any candidate has passed any module or group under new syllabus on switchover, in that case the provisions of this sub-regulation shall not be applicable.

(3) A candidate shall be declared pass in a group or module, if he secures in one sitting, a minimum of forty per cent. marks in each paper and fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of that group or module.

(4) Where a candidate who has appeared in the papers of a group or module for which he is enrolled and has secured sixty per cent. or more marks in any paper and a minimum of twenty five per cent. marks in each of the remaining papers of the group or module, but has failed in the group or module, shall be exempted from that or those papers in which he secured sixty per cent. or more marks, in any subsequent examination.

(5) Where a candidate who has appeared in all papers of the group or module for which he is enrolled without obtaining exemption in any paper of that group or module and has failed in one paper comprised in the group or module, but secured minimum of sixty per cent. of the total marks of the remaining papers of the module, all such remaining papers shall be exempted in which he secured sixty per cent. or more in total and shall be declared pass in that group or

module if he reappears in the paper in which he had failed and secures at least fifty per cent. marks in any subsequent examination.

(6) The exemption shall be deemed to have cancelled where a candidate appears in the exempted paper despite an endorsement to this effect on the Admission Certificate or Admit Card of the examination or the candidate has himself made an application for such cancellation before the last date of enrolment for such examination.

Explanation 1.- For the purposes of this regulation, the marks obtained by a candidate in a paper or papers in which he had obtained exemption on the basis of having secured sixty per cent. or more marks shall not be taken into account for computing his result for the remaining papers of that group or module for any of the subsequent examinations.

Explanation 2.- For the purposes of sub-regulation (5), the exemption shall be applicable only for a group or module with three or more papers.

Explanation 3. – For the purpose of sub-regulation (5), if any candidate has been granted exemption and appears in any of the exempted paper in any subsequent examination or cancels the exemption in any paper by submitting formal request, the exemption for all such papers shall be cancelled automatically without notice.

Explanation 4. - For the purposes of this regulation, where exemption is cancelled the actual marks secured on re-writing paper in the examination shall be taken into account.

(7) A candidate shall be declared as pass with distinction in the Executive Programme Examination if he obtains at one sitting a minimum of sixty per cent. marks in each paper and seventy per cent. marks or above in the aggregate in all groups or modules, without obtaining exemption in any paper.

(8) A candidate shall be declared to have passed the Executive Programme Examination on passing all papers, groups or modules in the manner referred to above.

37. Exemption from Paper of Executive Programme Examination.- (1) The Council may determine such individual paper or group or module of the Executive Programme Examination from which exemption may be granted to such candidate who has passed such examination of any university or on reciprocal basis of such professional institute or body in India or abroad, as may be recognised by the Council.

(2) The exemption under sub-regulation (1) shall be granted on payment of such exemption fees as may be determined by the Council.

(3) The Council may determine the corresponding individual paper or group or module of the Executive Programme Examination from which a candidate who, on payment of such exemption fees as may be determined by the Council, is admitted as a de novo or re-registered student under regulation 22 shall be exempted on the basis of exemption from individual paper or group or module previously secured by him under his previous registration.

(4) The Council may determine the individual paper or group or module of the Executive Programme Examination from which a candidate shall, on payment of such exemption fees as may be determined by the Council, be exempted on the basis of exemption from individual paper or group or module previously secured by him under the syllabus as notified by the Council.

38. Admission to Professional Programme.- (1) In order to become eligible for admission to Professional Programme, a registered student shall make an application in such Form as may be determined by the Council, along with student registration fee, annual subscription, education fee and such other fee, as may be determined by the Council and submit a proof to the satisfaction of the Council that he has passed the Executive Programme of the Institute or he has been exempted therefrom.

(2) A registered student making an application for admission shall obtain an identity card and also give an undertaking that he shall, as a registered student, conduct himself in a manner befitting the ideals and standards of the profession of Company Secretaries and shall abide by

guidelines and orders of the Institute.

(3) Every registered student whose application for admission is not accepted by the Secretary shall be entitled to a refund of the fee paid by him, subject to deduction of such administrative charges as the Council may determine.

- 39. Enrolment for Professional Programme Examination.-** (1) In order to become eligible for enrolment to the Professional Programme Examination, such student shall be required to register himself for Professional Programme at least six calendar months prior to the month in which the examination is to commence, and the like, if the examination commences in December, the candidate registered upto and including month of May of that calendar year shall be allowed in such manner and mode alongwith such examination fee and other requirements, as may be determined by the Council:

Provided that a student may be allowed to appear in one group or module of Professional Programme examination as may be determined by the Council, if he is registered as a student at least for a period of four calendar months prior to the month in which the examination is to commence and the like, if the examination commences in December, a candidate registered upto and including July of that year shall be allowed.

(2) The Institute may conduct pre-exam test before the Professional Programme Examination in such manner and mode as may be determined by the Council.

(3) From the date of the notification of these regulations, all the students of the Professional Programme having valid registration prior to date of notification shall be governed by these regulations for all the matters except that for the training provided in Chapter VIB of these regulations.

- 40. Course contents of Professional Programme Examination.-** (1) The Council shall determine the syllabus, the number of papers and groups or modules for the Professional Programme Examination which shall be published in the Journal or hosted on the website of the Institute.

(2) A candidate shall be declared pass in all groups or modules of the Professional Programme Examination, if:

- (i) taken simultaneously, he secures at one sitting, a minimum of forty per cent. marks in each paper in which he is required to appear and fifty per cent. marks in aggregate of all papers put together; or
- (ii) appears in all papers other than those individual paper(s) or group(s) or module(s) which are exempted on switchover from previous syllabus to new syllabus as per the scheme determined by the Council and secures at one sitting, a minimum of forty per cent. marks in each paper and fifty per cent. marks in aggregate of all papers put together:

Provided that, where any candidate has passed any module or group under new syllabus on switchover, in that case the provisions of this sub-regulation shall not be applicable.

(3) A candidate shall be declared pass in a group or module, if he secures in one sitting, a minimum of forty per cent. marks in each paper and fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of that group or module.

(4) Where a candidate who has appeared in the papers of a group or module for which he is enrolled and has secured sixty per cent. or more marks in any paper and a minimum of twenty five per cent. marks in each of the remaining papers of the group or module, but has failed in the group or module, shall be exempted from that or those papers in which he secured sixty per cent. or more marks, in any subsequent examination.

(5) Where a candidate who has appeared in all papers of the group or module for which he is enrolled without obtaining exemption in any paper of that group or module and has failed in one paper comprised in the group or module, but secured minimum of sixty per cent. of the total marks of the remaining papers of the module, all such remaining papers shall be exempted in

which he secured sixty per cent. or more in total and shall be declared pass in that group or module if he reappears in the paper in which he had failed and secures at least fifty per cent. marks in any subsequent examination.

(6) The exemption shall be deemed to have cancelled where a candidate appears in the exempted paper despite an endorsement to this effect on the Admission Certificate or Admit Card of the examination or the student has himself made an application for such cancellation before the last date of enrolment for such examination.

Explanation 1.—For the purposes of this regulation, the marks obtained by a candidate in a paper or papers in which he had obtained exemption on the basis of having secured sixty per cent. or more marks shall not be taken into account for computing his result for the remaining papers of that group or module for any of the subsequent examinations.

Explanation 2.—For the purposes of sub-regulation (5), the exemption shall be applicable only for a group or module with three or more papers.

Explanation 3.—For the purpose of sub-regulation (5), if any candidate has been granted exemption and appears in any of the exempted paper in any subsequent examination or cancels the exemption in any paper by submitting formal request, the exemption for all such papers shall be cancelled automatically without notice.

Explanation 4.—For the purposes of this regulation, where exemption is cancelled, the actual marks secured on re-writing paper in the examination shall be taken into account.

(7) A candidate shall be declared as pass with distinction in the Professional Programme Examination, if he obtains at one sitting a minimum of sixty per cent. marks in each paper and seventy per cent. marks or above in the aggregate in all groups or modules, without obtaining exemption in any paper.

(8) A candidate shall be declared to have passed the Professional Programme Examination upon passing all papers, groups or modules in the manner referred to above.

41. Exemption from papers of Professional Programme Examination.—(1) The Council may determine such individual paper or group or module of the Professional Programme Examination from which exemption may be granted to such candidate who has passed such examination of any university or on reciprocal basis of such professional institute or body in India or abroad, as may be recognised by the Council.

(2) The exemption under sub-regulation (1) shall be granted on payment of such exemption fees as may be determined by the Council.

(3) The Council may determine the corresponding individual paper or group or module of the Professional Programme Examination from which a candidate who, on payment of such exemption fees as may be determined by the Council, is admitted as a de novo or re-registered student under regulation 22 shall be exempted on the basis of exemption from individual paper or group or module previously secured by him under his previous registration.

(4) The Council may determine the individual paper or group or module of the Professional Programme Examination from which a candidate shall, on payment of such exemption fees as may be determined by the Council, be exempted on the basis of exemption from individual paper or group or module previously secured by him under the syllabus as notified by the Council.

42. Examination results.—(1) Every candidate shall be informed of the marks obtained in each paper and the result thereof but under no circumstances the marks obtained in individual question or section of a paper shall be furnished. The result-cum-marks statement issued by the Institute in the appropriate format shall only be conclusive proof in case of any dispute.

(2) Candidate may within twenty one days from the declaration of result of his examination apply to the Institute with such fee as may be determined by the Council for verification of marks as to whether answers to each question in any particular paper at any examination have been examined and marked or not.

Explanation 1.- Fee referred to in this sub-regulation is only for verifying whether the candidate's answers in any particular subject or subjects have been examined and valued and not for revaluation of the answers.

Explanation 2.- For the removal of doubt, it is clarified that re-examination of answers shall not be permitted under any circumstances.

(3) Every candidate passing the Professional Programme Examination shall be granted a certificate to that effect in the appropriate form or in electronic mode by the Secretary on payment of such fees as may be determined by the Council.

(4) In case it is found that the result of an examination has been affected by an error or any other instance of that nature, the Examination Committee shall have power to rectify such result in such manner as may be determined by such Committee and to make such declaration as it may consider necessary in that behalf.

43. **Revival of exemption in examination.-** If a candidate applies for and is allowed cancellation of exemption in any paper obtained by him earlier or of result of any group or module of an examination passed by him earlier under any of the regulations, he shall not be eligible for revival of such exemption or the benefit of having passed such group or modules, as the case may be, in any subsequent examination.

14. In the said regulations, regulations 44, 44A, 44AA, 44B, 45, 46 and 46A shall be omitted.

15. In the said regulations, after "Chapter VIA", the following "Chapter VIB" shall be inserted, namely:-

"Chapter VIB

Practical Experience and Training Requirements

46BA. Applicability of provisions of Chapter VIB.- (1) A student who is undergoing training in accordance with the provisions of Chapter VIA or Chapter VII on the date of commencement of the provisions of this Chapter may continue and complete the training in accordance with the provisions of said Chapters:

Provided that such student at his discretion may switchover to training under this Chapter in order to complete his remaining training.

(2) A student who had commenced training in accordance with the provisions of Chapter VIA or Chapter VII but subsequently discontinued the same shall resume his remaining training under Chapter VIA or Chapter VII within six months from the date of commencement of this Chapter:

Provided that such student at his discretion may switchover to training under this Chapter to complete his remaining training.

(3) Where a student on the date of commencement of the provisions of this Chapter has passed the Executive Programme Examination and is willing to undergo practical training of two years in accordance with the provisions of Chapter VIA, he shall commence the practical training within six months from the date of commencement of the provisions of this Chapter.

(4) Where a student who, irrespective of the date of his registration to Executive Programme or Professional Programme, has not commenced his training within the period prescribed in sub-regulation (3), shall undergo practical training in accordance with the provisions of this Chapter.

46BB. Practical experience and training requirement.- (1) A Student shall complete the following training in such manner and mode as may be determined by the Institute, namely:-

(a) Executive Development Programme (EDP) for one month duration after

passing of Executive Programme examination;

- (b) Practical training for twenty one months after completion of Executive Development Programme on whole time basis during normal working hours,-
 - (i) in a company having a company secretary in whole time employment or any other company fulfilling such criteria as may be determined by the Institute; or
 - (ii) under a Company Secretary in whole-time practice fulfilling such criteria as may be determined by the Institute; or
 - (iii) in any other body corporate or institution or organisation or entity fulfilling such criteria as may be determined by the Institute;
- (c) After passing the Professional Programme Examination, a Corporate Leadership Development Programme (CLDP) for not less than thirty days but not exceeding sixty days as may be determined by the Institute.

46BC. Exemption from Practical training and Executive Development Programme.- (1) A student who claims to have acquired practical knowledge and skills equivalent to Executive Development Programme and Practical training referred to in regulation 46BB, may make an application for exemption from undergoing Executive Development Programme and practical training in accordance with the criteria determined by the Institute.

(2) The Institute may, after considering the application, grant full or partial exemption or conditional exemption or reject the application.

46BD. Proof of practical training.- (1) A student intending to seek Associate Membership shall make an application to the Institute in such Form as may be determined by the Institute.

(2) Along with the application referred to in sub-regulation (1), the student shall enclose documentary proof to the satisfaction of the Institute that he has undergone the required practical training or has been exempted there from in accordance with these regulations.

46BE. Disciplinary action for misconduct during training including Executive Development Programme and Corporate Leadership Development Programme.- In the event of any misconduct or violation of any code of conduct or any regulation by a student undergoing practical training or Executive Development Programme or Corporate Leadership Development Programme, the Council may *suo-moto* or on receipt of a complaint, if it is satisfied about the existence of misconduct or violation after such investigation as it may deem necessary and after affording an opportunity of being heard, reprimand the student or cancel or suspend his registration as a student or suspend or debar him from appearing in any one or more examinations of the Institute or direct that any period of training already undergone shall not be reckoned for the purpose of Chapter VIA, VII and this Chapter or declare such student as unfit to be admitted to the Associate Membership of the Institute.”

16. In the said regulations, for “Chapter VIIA”, the following “Chapter VIIA” shall be substituted, namely:-

“Chapter VIIA

Specialised and Advanced Courses and Examinations

55B. Specialised and Advanced Courses and Examinations.- The Institute may conduct one or more such specialised and advanced courses as it may consider useful for the professional development of students and members, impart practical or theoretical course, conduct examination for subjects of such specialised and advanced courses and award certificate or diploma in such manner as may be determined by the Council.

55C. Award of Diploma and Certificate for Specialised and Advanced Course Examination.- A

candidate successfully completing the specialised and advanced course shall be awarded a Diploma or Certificate as may be determined by the Council and he shall be entitled to use such description as may be determined by the Council in respect of such Diploma or Certificate.

55D. Refresher Course.- (1) The Institute shall conduct refresher course and examination thereto for the members in such manner, mode and after such interval as may be determined by the Council.

(2) It shall be mandatory for the member either to undergo such refresher course or to appear in examination conducted by the Institute.

(3) A member may undergo such refresher course as well as appear in examination also:
Provided that the Institute may grant exemption from undergoing refresher course to the member who fulfil such criteria as may be determined by the Council.

(4) A member seeking exemption under the provision of this regulation shall make an application to the Institute in such Form, manner, mode and along with such fees as may be determined by the Council.”

17. In the said regulations, regulations 55E to 55S, (both inclusive), shall be omitted.

18. In the said regulations, in regulation 100, in clause (e), for the word, brackets and figure “clause (1)”, the word, brackets and letter “clause (h)” shall be substituted.

19. In the said regulations, after regulation 105, the following regulations shall be inserted, namely:-

“105A. Constitution of the Secretarial Standards Committee and the Auditing Standards Committee.- (1) The Council may constitute (a) the Secretarial Standards Committee and (b) the Auditing Standards Committee as it may deem necessary for the purposes of carrying out the functions of the Institute.

(2) A Committee constituted under sub-regulation (1) shall function under the supervision, control and direction of the Council.

(3) A member who has any pecuniary interest or perceived to have pecuniary interest, direct or indirect, in any such matter which is brought up for consideration of the Committee, shall disclose the nature of his interest in such matter and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Committee.

(4) The member referred to sub-regulation (3) shall not take part in any deliberation or decision of the Committee on such matter.

Explanation.- For the purposes of this regulation, “pecuniary interest” means a reasonable likelihood or expectation of appreciable financial gain.

(5) Subject to the provisions of the Act and Regulations, the Committee shall have power to delegate by resolution passed at meeting, any of its duties and functions to the President or Vice-President or Council Member or Secretary or Chief Executive; or any other Officer of the Institute not below the rank of the Director, as may be deemed necessary.

(6) Except provided specifically, the provisions in respect of meetings of the Council and its Committees, notice, adjournment, rescheduling, quorum, consideration of resolution and minutes shall be mutatis mutandis applicable to the meetings of the Committee.

105B. Constitution and Functions of the Academic Committee.- (1) The Council shall constitute an Academic Committee consisting of the members referred to in sub-section (2) of section 17.

(2) To assist the Academic Committee, the Council may appoint such experts as it may deem necessary for the efficient discharge of its functions.

(3) The President shall be the special invitee in the meetings of the Academic Committee.

(4) The members of the Academic Committee shall hold office for such term as may be determined by the Council and any vacancy in the Academic Committee shall be filled by the Council in the same manner as the member whose vacancy occurred was filled.

(5) The members of the Academic Committee shall be entitled to such sitting fee, travelling, conveyance and other allowances as may be determined by the Council:

Provided that Council Member shall not be entitled to any sitting fee.

(6) The Academic Committee shall be entrusted with the task of planning and implementation of all academic activities related to students including:-

- (i) scanning of the economic and regulatory environment;
- (ii) designing the syllabus and its contents and periodical review and revision thereof;
- (iii) designing mode of education;
- (iv) assessing and finalisation of the training requirements;
- (v) designing the mode of examination and evaluation system;
- (vi) recommending necessary changes to the Council as and when required; and
- (vii) any other related academic matters:

Provided that the Committee shall regularly monitor the effectiveness of the above and recommend necessary changes to the Council, as and when required;

Provided further that the terms of reference of the Academic Committee may include any other area as may be determined by the Council.

(7) The Academic Committee shall meet as and when required, however, at least one meeting shall be held on half yearly basis and there shall be gap of atleast four months between two meetings.

(8) The quorum of the Academic Committee shall not be less than one third of the total members of the Committee.

(9) A member who has any pecuniary interest or perceived to have any pecuniary interest, direct or indirect, in any matter which is brought up for consideration of the Academic Committee, shall disclose the nature of his interest in such matter and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Committee.

(10) The member referred to in sub-regulation (9), shall not take any part in any deliberation or decision of the Committee on such matter.

(11) The Academic Committee shall work as per the overall policy framework and vision of the Institute as decided by the Council from time to time.

(12) The Council shall have the power to review any decision taken by the Academic Committee in the performance of functions assigned or delegated to it.

(13) The Council shall record the reasons in writing, where it does not accept any recommendation of the Academic Committee and shall disclose the same in the Annual Report of the Institute.

(14) Subject to the provisions of the Act and Regulations, the Academic Committee may delegate by resolution, any of its duty or function to the President or Vice-President or Council Member or Secretary or Chief Executive; or any other Officer of the Institute not below the rank of the Director, as may be deemed necessary and proper.”

20. In the said regulations, in regulation 159, in sub-regulation (1), for the words “rupees twenty” and “rupees ten”, the words “rupees two hundred” and “rupees one hundred” shall respectively be substituted.

21. In the said regulations, in regulation 160.-

- (a) in sub-regulation (1) after the words, “by post”, the words, “or speed post or courier service or permitted electronic mode or by hand delivery or by leaving it” shall be inserted.
- (b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- “(2) To Institute.- A notice or documents may be served on the Institute or an officer thereof by sending it to the Institute or the officer at the office of the Institute at National Capital Region by registered post or speed post or courier services or permitted electronic mode or by leaving it at its head office at National Capital Region or other offices of the Institute.”
22. In the said regulations, after regulation 165, the following regulation 165A, shall be inserted, namely:-
- “165A. Multidisciplinary Firm.-** A member in practice may form multi-disciplinary firm with the member of other professional bodies as prescribed under regulations 168A and 168B in accordance with the regulating guidelines of the Council for functioning and regulation of such multidisciplinary firm.
23. In the said regulations, in regulation 169.-
- (a) in sub-regulation (1), after the words “Company Secretary in practice”, the words “or Multidisciplinary Firm” shall be inserted”;
- (b) in sub-regulation (2), after the words “Company Secretaries in practice”, the words “or Multidisciplinary Firm” shall be inserted;
- (c) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- “(2A) An application in such Form as may be determined by the Council, is required to be made to the Institute for obtaining prior approval of the trade or firm name proposed to be used by the company secretary in practice or by a firm of Company Secretaries in practice or Multidisciplinary Firm.”.
24. In the said regulations, for regulation 172, the following regulation shall be substituted, namely:-
- “172. Mode of payment of fees.-** All fees and other dues payable to the Institute shall be paid or remitted in favour of “The Institute of Company Secretaries of India”, through such modes as may be determined by the Council.”
25. In the said regulations, in “SCHEDULE ‘A’ - REGISTER OF MEMBERS”, in clause 6, after sub-clause b, the following sub- clauses shall be inserted, namely:-
- “(c) Mobile No.
(d) Tel. No.
(e) Email id.”.
26. In the said regulations, Schedule C, Schedule CC, Schedule CCA, Schedule CCB, Schedule D, Schedule E, Schedule G and Schedule H, shall be omitted.

By Order of the Council,
ASHOK KUMAR DIXIT, Officiating Secy.
The Institute of Company Secretaries of India
[ADVT.-III/4/Exty./431/2019]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* notification ICSI No.710/2 (1), dated the 16th September, 1982 and subsequently amended *vide*:

- (i) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated the 30th March, 1984;
- (ii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 3rd May, 1984;
- (iii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 30th December, 1985;
- (iv) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 9th September, 1986;
- (v) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 23rd February, 1987;

- (vi) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 9th March, 1987;
- (vii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 22nd August, 1988;
- (viii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 23rd August, 1988;
- (ix) Notification No. ICSI/710/2/M (18), dated the 20th August, 1993 and 24th November, 1993;
- (x) Notification No. 710/1/M/(17), dated the 21st February, 1995;
- (xi) Notification No. ICSI/710/2/M (20), dated the 28th November, 1996;
- (xii) Notification No. ICSI/710/2/M (26), dated the 10th August, 2001;
- (xiii) Notification No. 710/1/(M)/1, dated the 3rd May, 2006;
- (xiv) Notification No. 710/1/(M)/1, dated the 26th June, 2006;
- (xv) Notification No. 710/1(M)/1, dated the 23rd July, 2010;
- (xvi) Notification No. 710/1(M)/2, dated the 4th June, 2012.
- (xvii) Notification No. 710/1(M)/1, dated the 1st April, 2014.